

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.1.9.1; पृष्ठ 5)

ले प में सम्मिलित प्रस्तरों पर कृ का टि की प्राप्ति से संबन्धित स्थिति


लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	विभाग	31 मार्च 2018 को लंबित कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ	राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने की तिथि	कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ प्राप्ति की अंतिम तिथि
सिविल / सामाजिक, समान्य और आर्थिक क्षेत्र (गैर सा क्षेत्र 3)	2000-01	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	01	23.06.2003	22.09.2003
		पर्यावरण विभाग	01		
	योग	02			
	2001-02	वित्त विभाग	01	12.01.2005	11.04.2005
		योग	01		
	2002-03	सिंचाई विभाग	01		
		वित्तीय एवं समाज कल्याण विभाग	01		
	योग	02			
	2003-04	सिंचाई विभाग	01	19.04.2006	18.07.2006
		पंचायती राज विभाग	01		
	योग	02			
	2004-05	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	01	27.06.2007	26.09.2007
		लो नि वि	01		
	योग	02			
	2005-06	चिकित्सा विभाग	01	07.03.2008	06.06.2008
		खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	01		
		खेल एवं युवा कल्याण विभाग	01		
		ग्राम्य विकास विभाग	01		
	योग	04			
	2006-07	पेय जल विभाग	01	13.07.2009	12.10.2009
		सूचना विभाग	02		
		नागरिक उड्डयन विभाग	01		
	योग	04			
	2007-08	शहरी विकास विभाग	01	22.09.2010	21.12.2010
		तकनीकी शिक्षा विभाग	01		
		सूचना एवं लोक संपर्क विभाग	01		
	योग	03			
	2008-09	उत्तराखण्ड पेयजल निगम	02	29.03.2011	28.06.2011
		राजस्व विभाग	01		
		ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाएँ	01		
ऊर्जा विभाग (पी पी पी)		01			
योग	05				
2009-10	पर्यटन विभाग	01	11.12.2012	10.03.2013	
	उत्तराखण्ड पेयजल निगम	01			
योग	02				
2010-11	लो नि वि	02	18.09.2013	17.12.2013	
	उत्तराखण्ड पेयजल निगम	01			
	पुलिस विभाग	01			
	आयुष विभाग	01			
योग	05				
2011-12	निर्वाचन विभाग	01			
	श्रम विभाग	01			
	महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग	01			

		समाज कल्याण विभाग	02		
		खेल विभाग	01		
		उच्च शिक्षा विभाग	01		
		लो नि वि	02		
		उद्यान विभाग	01		
		योग	10		
	2012-13	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	02	27.11.2014	26.02.2015
		सिंचाई विभाग	01		
		गृह विभाग	01		
		चिकित्सा शिक्षा विभाग	02		
		लो नि वि	01		
		तकनीकी शिक्षा विभाग	01		
		खेल एवं युवा कल्याण विभाग	01		
		ग्राम्य विकास विभाग (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण संपर्क)	00		
		योग	09		
	2013-14	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	01	03.11.2015	02.02.2016
		डेयरी विकास विभाग	01		
		वन विभाग	01		
		उच्च शिक्षा विभाग	01		
		चिकित्सा शिक्षा विभाग	01		
		गृह विभाग	01		
		चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	02		
		लो नि वि	01		
		मुख्य मन्त्री कार्यालय	01		
		पेयजल विभाग	01		
		रेशम उत्पादन विभाग	01		
		समाज कल्याण एवं शिक्षा विभाग	01		
		शहरी विकास विभाग	01		
		उत्तराखण्ड नवीकरण उर्जा विकास अभिकरण	01		
		योग	15		
	2014-15	शिक्षा विभाग	01	07.11.2016	06.02.2017
		प्राथमिक शिक्षा विभाग	01		
		कृषि विभाग	01		
		नागरिक उड्डयन विभाग	01		
		संस्कृति विभाग	01		
		वन विभाग	01		
		चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	01		
		गृह विभाग	01		
		औद्योगिक विकास विभाग	01		
		ग्राम्य विकास विभाग	01		
		लो नि वि	03		
		राजस्व विभाग (सी एल आर)	01		
		समाज कल्याण विभाग	01		
		राजस्व विभाग (राजस्व विभाग में मामलों की पेंडेन्सी)	01		
		योग	16		
	2015-16	प्राथमिक शिक्षा विभाग	00	02.05.2017	01.08.2017
		गृह विभाग	01		
		आयुष विभाग	01		
		आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं मानक	01		
		वन विभाग	02		

		उच्च शिक्षा विभाग	01		
		उद्यान विभाग	01		
		भू-राजस्व विभाग	01		
		चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	02		
		लो नि वि	00		
		समाज कल्याण विभाग	01		
		पर्यटन विभाग	01		
		शहरी विकास विभाग	01		
		महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग	02		
		योग	15		
		कुल योग	97		
राज्य वित्त	2000-01	वित्त और विविध	सभी अध्याय	23.06.2003	22.09.2003
	2001-02	वित्त और विविध	सभी अध्याय	19.07.2004	18.10.2004
	2002-03	वित्त और विविध	सभी अध्याय	12.01.2005	11.04.2005
	2003-04	वित्त और विविध	सभी अध्याय	05.10.2005	04.01.2006
	2004-05	वित्त और विविध	सभी अध्याय	19.04.2006	18.07.2006
	2005-06	वित्त और विविध	सभी अध्याय	27.06.2007	26.09.2007
	2006-07	वित्त और विविध	सभी अध्याय	07.03.2008	06.06.2008
	2007-08	वित्त और विविध	सभी अध्याय	13.07.2009	12.10.2009
	2008-09	वित्त और विविध	सभी अध्याय	22.09.2010	21.12.2010
	2009-10	वित्त और विविध	सभी अध्याय	29.03.2011	28.06.2011
	2010-11	वित्त और विविध	सभी अध्याय	11.12.2012	10.03.2013
	2011-12	वित्त और विविध	सभी अध्याय	18.09.2013	17.12.2013
	2012-13	वित्त और विविध	सभी अध्याय	27.11.2014	26.02.2015
	2013-14	वित्त और विविध	सभी अध्याय	03.11.2015	02.06.2016
	2014-15	वित्त और विविध	सभी अध्याय	07.11.2016	06.02.2017
2015-16	वित्त और विविध	सभी अध्याय	02.05.2017	01.08.2017	
2016-17	वित्त और विविध	सभी अध्याय	26.03.2018	25.06.2018	
जिला नैनीताल	2011-12	विविध	सभी अध्याय	18.09.2013	17.12.2013
	2012-13	विविध	सभी अध्याय	27.11.2014	26.02.2015

परिशिष्ट-1.2.1
(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.2; पृष्ठ 10)

विभागीय ओर्गेनोग्राम



परिशिष्ट-1.2.2
(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.2.4; पृष्ठ 11)

सैंपलिंग का विवरण

संभाग	चयनित बेस गोदाम	चयनित जनपद	चयनित तहसील	चयनित आंतरिक गोदाम	
गढ़वाल	ज्वालापुर	टिहरी	नरेंद्र नगर	चौदह बीघा	गजा
			टिहरी	नयी टिहरी	चंबा
	बहादुराबाद	पौड़ी	पौड़ी	पौड़ी	खौलाचौरी
			श्रीनगर	श्रीनगर	-
कुमाऊँ	रुद्रपुर	अल्मोड़ा	द्वाराहाट	द्वाराहाट	कनाली पोखर
			रानीखेत	रानीखेत	सोनी
	किच्छा	उधमसिंह नगर	जिला पूर्ति अधिकारी के अंतर्गत कोई आंतरिक गोदाम संचालित न होने के कारण कोई गोदाम चयनित नहीं किया गया।		

परिशिष्ट-1.2.3
(संदर्भ: प्रस्तर; 1.2.9.3; पृष्ठ 20)

सूखन पर अतिरिक्त भुगतान का विवरण

वर्ष	धान की एम एस पी (प्रति कुंतल)	सूखन एम एस पी की एक % की दर से (प्रति कुंतल)	धान की मात्रा (कुंतल में)	भुगतान हेतु सूखन की धनराशि (₹ में)	वास्तविक भुगतान (₹ में)	अतिरिक्त भुगतान (₹ में)
	(अ)	(ब)	(स)	(द=ब*स)	(य=अ*स)	(र=य-द)
2015-16	1,410	14.10	1,797.04	25,338.264	25,33,826.40	25,08,488.14
2016-17	1,470	14.70	917.06	13,480.782	13,48,078.20	13,34,597.42
2017-18	1,550	15.50	35.82	555.210	55,521.00	54,965.79
कुल अतिरिक्त भुगतान						38,98,051.35

परिशिष्ट-1.2.4

(संदर्भ: प्रस्तर; 1.2.9.4 पृष्ठ 21)

विनिर्दिष्टियों की सूची (चावल) : (जी ओ आई आदेश दिनांक: एक सितम्बर 2014, सं-8-1/2014-एस & आई)

क्र. सं.	अपवर्तन	अधिकतम सीमा (प्रतिशत)		
		ग्रेड 'ए'	कॉमन	
1.	टूटे हुए*	कच्चा	25.0	25.0
		अधपका/ एकल अधपका चावल	16.0	16.0
2.	फ़ौरन मैटर्स**	कच्चा/अधपका/ एकल अधपका चावल	0.5	0.5
3.	क्षतिग्रस्त# / आंशिक क्षतिग्रस्त अनाज	कच्चा	3.0	3.0
		अधपका/ एकल अधपका चावल	4.0	4.0
4.	बदरंग अनाज	कच्चा	3.0	3.0
		अधपका/ एकल अधपका चावल	5.0	5.0
5.	चाकी अनाज	कच्चा	5.0	5.0
6.	लाल अनाज	कच्चा/ अधपका/ एकल अधपका चावल	3.0	3.0
7.	निम्न श्रेणी का मिश्रण	कच्चा/ अधपका/ एकल अधपका चावल	6.0	---
8.	डिहस्कड अनाज	कच्चा/ अधपका/ एकल अधपका चावल	13.0	13.0
9.	नमी की मात्रा	कच्चा/ अधपका/ एकल अधपका चावल	14.0	14.0

*. एक प्रतिशत से अधिक वजन छोटा टूटा हुआ नहीं होगा।

** कुल वजन से 0.25 प्रतिशत से अधिक खनिज पदार्थ नहीं होगा और 0.10 प्रतिशत से अधिक पशु द्वारा पैदा की गयी अशुद्धता नहीं होगी।

#. जिसमें पिन प्वाइंट क्षतिग्रस्त अनाज शामिल हैं।

परिशिष्ट-1.2.5

(संदर्भ: प्रस्तर; 1.2.9.4; पृष्ठ 21)

विश्लेषण प्रक्रिया (भारत सरकार के आदेश दिनांक: एक सितम्बर, 2014, सं-8-1/2014-एस एवं आई)


एक पेट्री डिश (80x70 मिमी) में 5 ग्राम चावल (साबुत चावल और टूटे हुए) लें। डिस्टिल्ड वॉटर और 20 मिलीलीटर मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन (0.05 प्रतिशत) में दानों को डुबोएं और लगभग एक मिनट तक पड़े रहने दें। मिथाइलीन ब्लू घोल को डिक्लाइन करें। लगभग 20 मिलीलीटर पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड (आसुत जल में मात्रा के अनुसार 5 प्रतिशत घोल) के साथ एक भंवर धोने दें। नीले रंग के दाग वाले दानों पर लगभग 20 मिलीलीटर मैटल वॉश का पानी डालें और मेटानिल येलो सॉल्यूशन (आसुत जल में वजन के आधार पर 0.05 प्रतिशत) डालें और लगभग एक मिनट तक पड़े रहने दें। प्रवाह को कम करें और ताजे पानी से दो बार धोएं। ताजे पानी के नीचे सना हुआ अनाज रखें और डिहस्कड अनाज गिनें। विश्लेषण के तहत 5 ग्राम नमूने में अनाज की कुल संख्या की गणना करें। तीन टुकड़ों को एक पूरे अनाज के रूप में गिना जाता है।

गणना:

1. डिहस्कड अनाज का प्रतिशत = $(\text{एन} \times 100) / \text{डबल्यू}$
जहाँ एन = 5 ग्राम सैंपल में डिहस्कड अनाज की संख्या .
डबल्यू = 5 ग्राम सैंपल में कुल अनाज
2. भारतीय मानक ब्यूरो में दिए गए नमूने की विधि समय-समय पर संशोधित "अनाज और दलहन के नमूने की विधि" एन ओ आई एस:14818-2000 का पालन किया जाना चाहिए।
3. पूर्ण करनेल्स के आकार के 1/8वें से कम टुकड़ों को कार्बनिक विदेशी पदार्थ के रूप में माना जाएगा। टुकड़ों के आकार के निर्धारण के लिए चावल की प्रमुख वर्ग की औसत लंबाई को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
4. अकार्बनिक फ़ॉरेन मेटर्स किसी भी लॉट में 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, यदि यह अधिक है, तो स्टॉक को साफ किया जाना चाहिए और सीमा के भीतर लाया जाना चाहिए। गुठली या गुठली के टुकड़ों पर चावल की सतह पर कीचड़ चिपकना अकार्बनिक बाह्य पदार्थ के रूप में माना जाएगा।
5. प्रेशर पेरोबोइलिंग तकनीक द्वारा तैयार चावल के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पेरोबोइलिंग की सही प्रक्रिया अपनाई जाए यानी प्रेशर लागू किया जाए, जिस समय के लिए प्रेशर लागू किया जाए, मिलिंग से पहले उचित जिलेटिनाइजेशन, वातन और सुखाना पर्याप्त हो ताकि रंग और अधपके चावल के खाना पकाने का समय अच्छा हो और अनाज पपड़ी बनने से मुक्त हो।

परिशिष्ट-1.2.6
(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.10; पृष्ठ 22)

खाद्यान्न के उठान एवं वितरण प्रदर्शित करता हुआ पिक्टोग्राफ



परिशिष्ट-1.2.7
(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.10.2; पृष्ठ 23)

राशन कार्ड एवं इकाइयों का विवरण

डिजिटাইजेशन से पूर्व (अप्रैल 2013 से सितम्बर 2015)					
राशन कार्डों की संख्या			इकाइयों की संख्या		
ए पी एल	बी पी एल	ए ए वाई	ए पी एल	बी पी एल	ए ए वाई
23,20,366	3,07,074	1,90,926	1,05,59,245	14,90,395	8,25,570
डिजिटাইजेशन के बाद (अक्टूबर 2015 से मार्च 2018)					
राशन कार्डों की संख्या			इकाइयों की संख्या		
पी एच एच	ए ए वाई		पी एच एच	ए ए वाई	
11,38,256	1,82,255		54,22,880	7,68,930	

स्रोत: सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध।

परिशिष्ट-1.2.7 अ
(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.2.10.2; पृष्ठ 23)

राशन कार्ड, इकाइयों तथा खाद्यान्न की आवश्यकता का विवरण

	अवधि	आवंटन (कि ग्रा में)		इकाई	अवधि (माह में)	राशन कार्ड/इकाइयों की संख्या	आवश्यकता (मी टन में)			
		चावल	गेहूँ				चावल	योग	गेहूँ	योग
ए ए वाई	2013 - सितम्बर 2015	24.60	10.40	प्रति कार्ड	30	1,90,926	1,40,903.39	2,59,551.39	59,568.912	1,32,288.657
	अक्टूबर 2015 - मार्च 2018	21.70	13.30		30	1,82,255	1,18,648.01		72,719.745	
बी पी एल	2013 - सितम्बर 2015	23.20	11.80		30	3,07,074	2,13,723.50	2,13,723.50	1,08,704.196	
पी एच एच	अक्टूबर 2015 - मार्च 2018	3.00	2.00	प्रति इकाई	30	54,22,880	4,88,059.20	4,88,059.20	3,25,372.800	3,25,372.800

ए पी एल (चावल 05 कि ग्रा और गेहूँ 10 कि ग्रा प्रति राशन कार्ड); बी पी एल (चावल 23.200 कि ग्रा और गेहूँ 11.800 कि ग्रा प्रति कार्ड); ए ए वाई (चावल 24.600 कि ग्रा और गेहूँ 10.400 कि ग्रा प्रति कार्ड, एन एफ एस ए लागू होने के बाद चावल 21.700 कि ग्रा और गेहूँ 13.300 कि ग्रा); पी एच एच (चावल 3.00 कि ग्रा और गेहूँ 2.00 कि ग्रा प्रति इकाई) ।

परिशिष्ट-1.2.8

(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.10.2; पृष्ठ 23)

जनपदों में आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न का वितरण

(मात्रा मी टन में)

जनपद अल्मोड़ा							
अवधि	श्रेणी	चावल			गेहूँ		
		आवश्यक मात्रा	वास्तविक वितरण	अतिरिक्त	आवश्यक मात्रा	वास्तविक वितरण	अतिरिक्त
2013-14 से 2017-18	ए ए वाई	20,239.194	21,013.952	774.758	10,337.856	10,712.851	374.995
2013-14 से सितम्बर 2015	बी पी एल	23,504.615	28,938.336	5,433.721	11,954.935	12,942.272	987.337
2013-14 से सितम्बर 2015	ए पी एल	17,058.570	19,164.664	2,106.094	34,117.140	34,962.971	845.831
अक्टूबर 2015 से मार्च 2018	पी एच एच	31,282.560	31,973.195	690.635	20,855.040	20,185.506	0.000
योग		92,084.939	1,01,090.147	9,005.208	77,264.971	78,803.600	2,208.163
जनपद पौड़ी							
अवधि	श्रेणी	चावल			गेहूँ		
		आवश्यक मात्रा	वास्तविक वितरण	अतिरिक्त	आवश्यक मात्रा	वास्तविक वितरण	अतिरिक्त
2013-14 से सितम्बर. 2015	बी पी एल	11,951.713	12,801.381	849.668	6,078.888	5,676.614	0.000
जनपद टिहरी							
अवधि	श्रेणी	चावल			गेहूँ		
		आवश्यक मात्रा	वास्तविक वितरण	अतिरिक्त	आवश्यक मात्रा	वास्तविक वितरण	अतिरिक्त
2013-14 से 2017-18	ए ए वाई	33,560.496	33,274.463	0.000	17,179.704	17,336.140	156.436
2013-14 से सितम्बर 2015	बी पी एल	17,813.425	21,984.010	4,170.585	9060.275	9734.826	674.551
2013-14 से सितम्बर 2015	ए पी एल	19,050.000	19,998.068	948.068	38,100.000	39,190.074	1090.474
अक्टूबर 2015 से मार्च 2018	पी एच एच	26420.490	27,033.498	613.008	17,613.660	16,896.588	0.000
योग		96,844.411	1,02,290.039	5,731.661	81,953.639	83,157.628	1,921.061
जनपद उधम सिंह नगर							
अवधि	श्रेणी	चावल			गेहूँ		
		आवश्यक मात्रा	वास्तविक वितरण	अतिरिक्त	आवश्यक मात्रा	वास्तविक वितरण	अतिरिक्त
2013-14 से सितम्बर 2015	बी पी एल	27,590.135	34,394.536	6,804.401	14,032.915	14,694.757	661.842

स्रोत: सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध।

परिशिष्ट-1.2.9

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.2.11.1; पृष्ठ 27)

परिवहन विभाग की दरों तथा निम्नतम निविदत दरों की तुलना में अंतर

वर्ष	न्यूनतम निविदत दर		अधिकतम निविदत दर		परिवहन विभाग की दरों ¹ की तुलना में अंतर (प्रतिशत में)		निम्नतम निविदत दरों की तुलना में अंतर (प्रतिशत में)	
	गढ़वाल ²	कुमाऊँ ³	गढ़वाल	कुमाऊँ	गढ़वाल	कुमाऊँ	गढ़वाल	कुमाऊँ
2013-14	13.50	9.93	22.00	29.91	260 से 487	397 से 1396	63	201
2014-15	20.80	27.00	32.00	36.95	455 से 753	1250 से 1748	54	37
2015-16	23.70	29.50	34.80	39.64	532 से 828	1375 से 1882	47	34
2016-17	16.50	33.00	34.75	45.63	340 से 827	1550 से 2182	111	38
2017-18	28.00	36.30	41.45	50.19	647 से 1000	1715 से 2410	48	38

परिशिष्ट-1.2.10

(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.11.1; पृष्ठ 27)

दो/तीन स्थानों के लिए ट्रांसपोर्टर्स के चयन को दर्शाने वाला विवरण

गढ़वाल मण्डल			
वर्ष	ट्रांसपोर्टर्स का नाम	वाहन संख्या	परिवहन हेतु ट्रांसपोर्टर्स का चयन
2013-14	बंसल ट्रांसपोर्ट कम्पनी	यू पी 20 पी 1079, एच आर 46 ए 4772	03 स्थान
2014-15	बंसल ट्रांसपोर्ट कम्पनी.	यू पी 20 पी 1079, एच आर 46 ए 4772	03 स्थान
	सुभाष चन्द्र	एच आर 582332, एच आर 38 एच 4815	02 स्थान
2015-16	बंसल ट्रांसपोर्ट कम्पनी	यू पी 20 टी 1079 एच आर 46 ए 4772	03 स्थान
2016-17	बंसल ट्रांसपोर्ट कम्पनी	यू पी 20 वाई 3477, यू पी 20 टी 3478	02 स्थान
	सुभाष चन्द्र	यू पी 0754907, यू के 07 सी ए 3504	02 स्थान
2017-18	बंसल ट्रांसपोर्ट कम्पनी.	यू पी 20 टी 1079, यू पी 20 टी 3477	02 स्थान
	भूपेश कुमार	यू के 08 सी ए 4528, यू पी 11 एफ 0684	02 स्थान
कुमाऊँ मण्डल			
वर्ष	ट्रांसपोर्टर्स का नाम	वाहन संख्या	परिवहन हेतु ट्रांसपोर्टर्स का चयन
2013-14	सुभाष चन्द्र	एच आर 582332, एच आर 38 एच 4815	02 स्थान
	धन प्रकाश	यू के 07 सी ए 1095, यू जी ए 9017	02 स्थान
	बिपिन कुमार अग्रवाल	एच आर 552938, यू पी 20 एन 3090	02 स्थान
2014-15	रमेश चन्द्र गुप्ता	यू पी 075650, यू पी 07 एफ 6395	02 स्थान
	कंवलजीत सिंह बत्रा	यू पी 11 टी 3229, यू पी 11 डी 6717	02 स्थान
2015-16	योगेश कुमार	यू के 07 सी ए 9127, यू पी 07 ई 0520	02 स्थान
	कंवलजीत सिंह बत्रा	यू के 07 सी ए 3048, एच आर 63 ए 3253	02 स्थान
2016-17	योगेश कुमार	एच आर 38 एच 4602, यू पी 07 ई 0520	02 स्थान
	भूपेश कुमार	यू के 08 सी ए 4528, यू के 08 सी ए 4873	02 स्थान
2017-18	शिव ट्रांसपोर्ट	यू ए 06 एच 7478, यू के 06 सी ए 1790	02 स्थान
	कंवलजीत सिंह बत्रा	यू पी 11 टी 3229, एच आर 63 ए 3253	02 स्थान

¹ ₹ 0.25 प्रति कुंतल प्रति किलोमीटर (₹ 2.00 प्रति 08 किलोमीटर प्रति कुंतल कुमायूं में और ₹ 3.75 प्रति 15 किलोमीटर प्रति कुंतल गढ़वाल में)

² प्रति 15 किलोमीटर प्रति कुंतल ₹ में।

³ प्रति 08 किलोमीटर प्रति कुंतल ₹ में।

परिशिष्ट-1.2.11
(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.11.4 पृष्ठ 28)

गोदामों के निर्माण का विवरण

(₹ लाख में)

गोदाम का नाम	स्वीकृति वर्ष/क्षमता	अवमुक्त धनराशि	व्यय	कार्य अपूर्ण रहने का कारण
खाद्यान्न गोदाम नेटवाड, उत्तरकाशी	जून 2008 (300 मी टन)	34.81	30.98	कार्य मार्च में पूर्ण हो गया था परंतु पहुँच मार्ग न होने के कारण भवन अनुपयोगित पड़ा हुआ था।
खाद्यान्न गोदाम गुलाबकोटी, जोशीमठ, चमोली	मार्च, 2015 (200 मी टन)	48.28	28.89	सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि अवमुक्त हो चुकी थी लेकिन निर्माण स्थल पर कठोर चट्टान होने के कारण कार्य अवरुद्ध था।
खाद्यान्न गोदाम ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून	दिसंबर /2015 (2000 मी टन)	240.52	150.60	बकाया धनराशि ₹ 66.92 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त न होने के कारण कार्य रुका हुआ था।
खाद्यान्न गोदाम काफलीगैर, वागेश्वर	अगस्त 2016 (200 मी टन)	60.00	45.00	कार्यदायी संस्था को बकाया धनराशि ₹ 15.00 लाख न अवमुक्त होने के कारण कार्य रुका हुआ था।

परिशिष्ट-1.4.1
(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.4; पृष्ठ 41)

छ: जिलों में चालान किये गये वाहनों से कम प्रशमन शुल्क लिये जाने का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र सं	कार्यालय का नाम	चालान की अवधि	धारा नं.	चालान किए गए वाहनों की संख्या	प्रति वाहन वसूल की गयी प्रशमन राशि	प्रति वाहन वसूल की जाने वाली प्रशमन राशि	कम वसूली की गई प्रशमन राशि	राजस्व हानि
1.	पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़	10/16 से 03/18	179(1)	6,228	100	500	400	24,91,200
2.	पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंह नगर	10/16 से 03/18	179(1)	27,749	100	500	400	1,10,99,600
3.	पुलिस अधीक्षक, देहरादून	10/16 से 03/18	179(1)	18,446	100	500	400	73,78,400
4.	पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार	10/16 से 03/18	179(1)	19,703	100	500	400	78,81,200
5.	पुलिस अधीक्षक, चमोली	10/16 से 03/18	179(1)	4,079	100	500	400	16,31,600
6.	पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	10/16 से 03/18	179(1)	3,025	100	500	400	12,10,000
योग				79,230				3,16,92,000 लगभग ₹ 3.17 करोड़

परिशिष्ट-1.7.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.7.1; पृष्ठ 47)

राज्य के 20 ब्लड बैंकों द्वारा घटते क्रम में रक्त इकाइयों का संग्रह

क्र. सं.	ब्लड बैंक का नाम	एकत्रित रक्त इकाइयों की संख्या			कुल योग
		2015-16	2016-17	2017-18	
1.	सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज हल्द्वानी	10,970	10,742	10,927	32,639
2.	एस एस जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल	6,831	7,089	7,547	21,467
3.	एल डी भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर	6,625	6,770	7,211	20,606
4.	एच एम जी जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक, हरिद्वार	6,273	6,809	8,440	21,522
5.	जे एल एन जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर*	6,070	6,338	6,014	18,422
6.	एस जे एन एस एम राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रुड़की	6,220	6,074	6,165	18,459
7.	दून चिकित्सालय, देहरादून	6,180	5,425	5,008	16,613
8.	बी डी पाण्डे जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक, पिथौरागढ़	2,421	2,700	2,289	7,410
9.	बेस चिकित्सालय श्रीनगर, पौड़ी	2,259	1,606	1,711	5,576
10.	संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार	1,396	1,867	1,757	5,020
11.	जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा	1,015	953	1,016	2,984
12.	एस पी एस राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश, देहरादून	290	850	633	1,773
13.	जिला चिकित्सालय, ब्लड बैंक, उत्तरकाशी	425	619	567	1,611
14.	बी डी पाण्डेय जिला चिकित्सालय, ब्लड बैंक नैनीताल	484	462	549	1,495
15.	गोविंद सिंह महर जिला चिकित्सालय, रानीखेत, अल्मोड़ा	356	459	438	1,253
16.	जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर, चमोली	265	171	223	659
17.	जिला चिकित्सालय, बौराड़ी, टिहरी	शून्य	102	283	385
18.	जिला चिकित्सालय, ब्लड बैंक, पौड़ी	शून्य	32	58	90
19.	जिला चिकित्सालय, ब्लड बैंक, बागेश्वर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	जिला चिकित्सालय, ब्लड बैंक, चम्पावत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

स्रोत: एस बी टी सी, देहरादून से एकत्र की गई जानकारी।

*इसे पायलट अध्ययन के लिए लिया गया था।

परिशिष्ट-1.7.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.7.3.1 अ एवं ब; पृष्ठ 51)

चयनित आठ ब्लड बैंकों में वी बी डी की स्थिति और एस बी टी सी द्वारा प्रगति रिपोर्ट में इसकी प्रतिशतता दिखायी गयी है

क्र. सं.	ब्लड बैंक का नाम	2015-16			2016-17			2017-18		
		टी बी सी	वी बी डी	प्रगति रिपोर्ट में एस बी टी सी द्वारा दिखाया गया प्रतिशत	टी बी सी	वी बी डी	प्रगति रिपोर्ट में एस बी टी सी द्वारा दिखाया गया प्रतिशत	टी बी सी	वी बी डी	प्रगति रिपोर्ट में एस बी टी सी द्वारा दिखाया गया प्रतिशत
1.	एस टी एम चिकित्सालय, हल्द्वानी	10,970	3,216 (29)	94	10,742	2,098 (20)	95	10,927	2,646(24)	94
2.	एस एस जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल	6,831	1,813 (27)	92	7,089	1,865 (26)	74	7,547	1,705(23)	88
3.	एल डी भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर	6,625	2,186 (33)	83	6,770	2,136 (32)	81	7,211	2,308(32)	82
4.	एच एम जी जिला चिकित्सालय, हरिद्वार	6,273	4,493 (72)	88	6,809	5,400 (79)	89	8,440	5,902(70)	77
5.	एस जे एन एस एम राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रुड़की	6,220	2,488 (40)	80	6,074	3,166 (52)	67	6,165	2,281(37)	68
6.	दून चिकित्सालय, देहरादून	6,180	1,112 (18)	86	5,425	1,356 (25)	83	5,008	1,102(22)	82
7.	बी डी पाण्डेय चिकित्सालय, पिथौरागढ़	2,421	637 (26)	84	2,700	949 (35)	79	2,289	734 (32)	81
8.	बेस चिकित्सालय श्रीनगर	2,259	792 (35)	79	1,606	530 (33)	89	1,711	616 (36)	83


स्रोत: चयनित ब्लड बैंकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और एस बी टी सी की प्रगति रिपोर्ट।

नोट: ब्रैकेट में आँकड़े टी बी सी के विरुद्ध वी बी डी के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

परिशिष्ट-1.7.3

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.7.4.1; पृष्ठ 53)

लाइसेंस जारी/नवीनीकरण करने की प्रक्रिया



स्रोत : एस डी सी, देहरादून

परिशिष्ट-1.7.4

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.7.4.1; पृष्ठ 53)

लाइसेंस के गैर-नवीकरण की स्थिति मार्च 2018 तक

क्र. सं.	ब्लड बैंक का नाम	लाइसेंस की वैधता	ब्लड बैंक द्वारा अब तक कमियों को दूर नहीं किया गया	कमियों का असर
1.	सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज	26.03.2017	कोई भी उपकरण कैलिब्रेटेड नहीं पाया गया; सेरोलॉजी प्रयोगशाला और टी टी आई लैब में ब्लड बैंक की सफाई संतोषजनक नहीं थी; थर्मोग्राफ रिकॉर्डर कार्यरत नहीं पाया गया; एलिजा रीडर के परीक्षण हेतु सुविधा का अभाव	रक्त और रक्त घटक संदूषण के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं, इस प्रक्रिया का पालन न करने से रक्त प्राप्त करने वाले को संक्रमण होने का खतरा बढ़ सकता है।
2.	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़	29.06.1998	टी टी आई लैब में ब्लड बैंक की सफाई संतोषजनक नहीं है; उपकरणों का कैलिब्रेशन न किया जाना; थर्मोग्राफ रिकॉर्डर कार्यरत नहीं पाया गया; एलिजा रीडर के परीक्षण हेतु सुविधा का अभाव	
3.	एल डी भट्ट चिकित्सालय काशीपुर	08.10.2017	उपकरणों का कैलिब्रेशन न किया जाना; थर्मोग्राफ रिकॉर्डर कार्यरत नहीं पाया गया,	
4.	एस पी एस राजकीय चिकित्सालय, ऋषिकेश	23.04.2017	उपकरणों का कैलिब्रेशन न किया जाना; डायग्नोस्टिक किट और रीजेंट्स को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेफ्रिजरेटर के तापमान की निगरानी के लिए कोई प्रक्रिया नहीं; परीक्षित रक्त के भंडारण के लिए स्टैंडबाई रेफ्रिजरेटर खराब पाया गया।	
5.	एस एस जीना चिकित्सालय, हल्द्वानी	09.10.2017	उपकरणों का कैलिब्रेशन न किया जाना	
6.	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी	31.12.2006	उपकरणों का कैलिब्रेशन न किया जाना, एलिजा रीडर के परीक्षण हेतु सुविधा न होना, डाइइलैक्टिक सिलर्स खराब होना, अपरीक्षित रक्त के भंडारण हेतु रेफ्रिजरेटर का खराब होना, एक ही रेफ्रिजरेटरमें परीक्षित एवं अपरीक्षित रक्त इकाइयों का भंडारण।	

परिशिष्ट-1.7.5

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.7.4.1; पृष्ठ 53)

जून 2018 तक लाइसेंस के गैर-नवीनीकरण की स्थिति

क्र. सं.	ब्लड बैंक का नाम	ब्लड बैंक स्थापना की तिथि	लाइसेंस वैधता की तिथि	लाइसेंसिंग प्राधिकरण की कार्यवाही	लाइसेंस के नवीनीकृत न किए जाने का कारण	टिप्पणियाँ
1.	दून चिकित्सालय, देहरादून	10.10.2012	09.10.2017	26.01.18 को निरीक्षण किया	अनुमोदन के लिए सी डी एस सी ओ को भेजा गया	10.10.2017 से बिना लाइसेंस के चल रहा है (आठ माह)
2.	एस पी एस राजकीय चिकित्सालय, ऋषिकेश	24.04.2012	23.04.2017	26.01.18 को निरीक्षण किया	ब्लड बैंक द्वारा अब तक कमियाँ को दूर नहीं किया गया	24.04.2017 से बिना लाइसेंस के चल रहा है (एक वर्ष तीन माह)
3.	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी	20.01.1998	31.12.2006	08.03.18 को निरीक्षण किया	-तदैव-	01.01.2007 से बिना लाइसेंस के चल रहा है (ग्यारह वर्ष छः माह)
4.	एस एस जीना चिकित्सालय, हल्द्वानी	10.10.2002	09.10.2017	04.01.18 को निरीक्षण किया	- तदैव -	10.10.2017 से बिना लाइसेंस के चल रहा है (आठ माह)
5.	सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज	27.03.2012	26.03.2017	05.07.17 को निरीक्षण किया	- तदैव -	27.03.2017 से बिना लाइसेंस के चल रहा है (एक वर्ष तीन माह)
6.	एल डी भद्र चिकित्सालय काशीपुर	09.10.2012	08.10.2017	28.11.17 को निरीक्षण किया	- तदैव -	09.10.2017 से बिना लाइसेंस के चल रहा है (आठ माह)
7.	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़	30.06.1997	29.06.1998	27.03.18 को निरीक्षण किया	- तदैव -	30.06.1998 से बिना लाइसेंस के चल रहा है (20 वर्ष)। क्योंकि 1998 से लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ
8.	जीवन रेखा चिकित्सालय, काशीपुर	27.08.2012	26.08.2017	अब तक निरीक्षण नहीं किया गया	निरीक्षण करने के लिए लाइसेंस प्राधिकरण की विफलता	27.08.2017 से बिना लाइसेंस के चल रहा है (दस माह)
9.	जिला चिकित्सालय पौड़ी	28.12.2012	27.12.2017	अब तक निरीक्षण नहीं किया गया	- तदैव -	28.12.2017 से बिना लाइसेंस के चल रहा है (छः माह)
10.	जिला चिकित्सालय , अल्मोड़ा	01.01.2013	31.12.2017	अब तक निरीक्षण नहीं किया गया	- तदैव -	01.01.2018 से बिना लाइसेंस के चल रहा है (छः माह)
11.	जीएसएम जिला चिकित्सालय, रानीखेत	15.06.2011	14.06.2016	अब तक निरीक्षण नहीं किया गया	- तदैव -	15.06.2016 से बिना लाइसेंस के चल रहा है (दो वर्ष)
12.	जिला चिकित्सालय , चमोली	11.04.1997	31.12.2017	अब तक निरीक्षण नहीं किया गया	- तदैव -	01.01.2018 से बिना लाइसेंस के चल रहा है (छः माह)
13.	बी डी पाण्डेय (एम) चिकित्सालय, नैनीताल	01.01.2013	31.12.2017	अब तक निरीक्षण नहीं किया गया	- तदैव -	छः माह से बिना लाइसेंस के चल रहा है।
14.	हिमालयन हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट, देहरादून	30.12.2012	31.12.2017	---		नवीनीकृत
15.	मैक्स सुपर अस्पताल, देहरादून	27.12.2012	28.12.2017	---		नवीनीकृत
16.	एच एम जी जिला चिकित्सालय, हरिद्वार	26.01.2012	27.01.2017	---		नवीनीकृत
17.	जे एल एन जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर, यू एस नगर	30.12.2011	31.12.2016	---		नवीनीकृत

स्रोत: एस डी सी, देहरादून से एकत्र की गई सूचना।

नोट 1- ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अनुसार ब्लड बैंक का निरीक्षण सी डी एस सी ओ और एस डी सी की टीम द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है।

नोट 2- अधिनियम में दोषी लाइसेंसधारी के खिलाफ कोई दंडात्मक उपाय या दंड का प्रावधान नहीं किया गया है।

परिशिष्ट-1.7.6
(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.7.5.2; पृष्ठ 56)

2015 से मार्च 2018 के दौरान उपकरणों के कैलिब्रेशन न किए जाने की स्थिति

उपकरण का नाम	अंशांकन की आवधिकता	अंशांकन कब से नहीं किया गया
हिमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज	वार्षिक	एल डी भट्ट चिकित्सालय काशीपुर एवं एसएस जीना चिकित्सालय, हल्द्वानी का 04/2016 से 03/2018
		एस जे एन एम चिकित्सालय, रुड़की का 09/2016 से 03/2018
		जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ का 05/2015 से 03/2018
		सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी का 02/2017 से 03/2018
जनरल लैब सेंट्रीफ्यूज, ऑटोमेटिड ब्लड टाइपिंग, हीमोग्लोबिनो मीटर, रिफ्रक्टोमीटर	प्रत्येक छः माह	एल डी भट्ट चिकित्सालय काशीपुर एवं एसएस जीना चिकित्सालय, हल्द्वानी का 04/2016 से 03/2018
		एस जे एन एम चिकित्सालय, रुड़की का 09/2016 से 03/2018
		जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ का 05/2015 से 03/2018
		सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी का 02/2017 से 03/2018

परिशिष्ट-1.10.1

(संदर्भ: प्रस्तर 1.10.1; पृष्ठ 64)

लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ जिन पर अनुवर्ती प्रतिवेदन में विचार नहीं किया गया


क्र. सं.	विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में टिप्पणियाँ एवं प्रस्तर संख्या	अनुवर्ती प्रतिवेदन में विचार न किए जाने के कारण
1.	लाभार्थियों का अनियमित चयन (प्रस्तर-1.3.6.1)	जैसा कि इं आ यो के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन बी पी एल सूची-2002 से किया जाता था जबकि प्र आ यो-ग्रा के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जाति गणना (सा आ जा ग) 2011 में दिये गए चयन आवासीय वंचित मानकों से संबन्धित आंकड़ों का प्रयोग करते हुए किया जाता है जो आवाससॉफ्ट पर अपलोड है एवं लाभार्थी को सहायता दिये जाने के पूर्व संबन्धित ग्राम सभाओं के द्वारा लाभार्थी की पात्रता सत्यापित की जाती है।
2.	समूह दृष्टिकोण हेतु लाभार्थियों की पहचान न किया जाना। (प्रस्तर-1.3.6.3)	प्र आ यो-ग्रा के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अतः अनुवर्ती लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किया गया।
3.	आवासों की सूची का रख-रखाव न किया जाना। (प्रस्तर-1.3.6.5)	प्र आ यो-ग्रा के दिशा-निर्देशों के अनुसार आंकड़ों को आवाससॉफ्ट पर अपलोड किए जाने का प्रावधान है एवं ऐसा किया जा रहा है, इस कारण अनुवर्ती लेखापरीक्षा में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई।
4.	महिला सदस्यों के नाम इं आ यो के आवासों का आवंटन न किया जाना। (प्रस्तर-1.3.8.3)	प्र आ यो-ग्रा के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवासों का आवंटन पति पत्नी दोनों के नाम पर किया जा रहा है, इस कारण अनुवर्ती लेखापरीक्षा में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई।
5.	अ जा/अ ज जा बी पी एल परिवारों को आवासों के आवंटन में निर्धारित सीमा का अनुपालन न किया जाना। (प्रस्तर-1.3.8.4)	उक्त टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं क्योंकि राज्य में अ जा/अ ज जा के परिवारों की उपलब्धता 60 प्रतिशत से कम है।

परिशिष्ट-1.12.1
(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.12.2; पृष्ठ 78)


वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता मानदण्ड और चयन प्रक्रिया का विवरण

क्र.सं.	पात्रता मानदण्ड	आवश्यक सहायक दस्तावेज
1.	आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए	आधार कार्ड/परिवार रजिस्टर/वोटर आई डी
2.	आवेदक को बी पी एल श्रेणी का होना चाहिए	बी पी एल प्रमाण पत्र
अथवा		
3.	मासिक पारिवारिक आय ₹ 4,000 तक हो	कम से कम तहसीलदार स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र
4.	ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक के पास भूमि 2.5 एकड से कम होनी चाहिए	पटवारी रिपोर्ट
5.	आवेदक के पुत्र/पौत्र की आयु 20 से अधिक हो परन्तु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हो	इस सम्बन्ध में शपथपत्र

चयन की प्रक्रिया



पेंशन वितरण की प्रक्रिया



परिशिष्ट-1.13.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.13.4.1; पृष्ठ 95)

वायु प्रदूषकों, उनके स्रोतों और प्रभाव का विवरण

प्रदूषक	संभावित मानवजनित स्रोत	प्रभाव	
		मानव / वनस्पति / जीव	पर्यावरण और प्रकृति
<p>सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) SO₂, ज्वालामुखियों और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित रासायनिक यौगिक है और यह वायुमंडल में कणों का प्रसार करने के लिए भी अग्रदूत है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> जीवाश्म ईंधन का दहन (कोयला, थर्मल पावर प्लांट, कार्यालय, कारखानों में भारी ईंधन तेल) कागज उद्योग जीवाश्म ईंधन का निष्कर्षण और वितरण धातुओं को गलाना (सल्फाइड अयस्क का उत्पादन करने के लिए तांबा, सीसा और जस्ता) पेट्रोलियम रिफाइनिंग डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस चालित वाहनों में दहन प्रक्रिया 	<ul style="list-style-type: none"> साँस की बीमारी दृश्यता में कमी मौजूदा हृदय और फेफड़ों के रोगों को बढ़ाता है 	<ul style="list-style-type: none"> अम्ल वर्षा सौंदर्य क्षति
<p>नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NO_x) नाइट्रोजन के ऑक्साइड अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैसों के समूह के लिए एक प्रजातिगत शब्द है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग-अलग मात्रा में होते हैं। NO_x को नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO) के रूप में उत्सर्जित किया जाता है जो तेजी से अधिक विषाक्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO₂ में ऑक्सीकृत होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂) एक लाल-भूरे रंग की विषैली गैस है जिसमें एक विशेष प्रकार की तीक्ष्ण गंध होती है जो गंध को काटती है और एक प्रमुख वायु प्रदूषक है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> उच्च तापमान दहन (आंतरिक दहन इंजन, जीवाश्म ईंधन से चलने वाली बिजली की घर, औद्योगिक) बायोमास और जीवाश्म ईंधन का जलना 	<ul style="list-style-type: none"> नाक और गले पर जलन श्वसन संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि 	<ul style="list-style-type: none"> क्षोभमंडल में गठित ओजोन का अग्रणी ऑक्सीकरण के परिणामस्वरूप पनाइट्रेट एरोसोल बनने के कारण वायुमंडल में कणिका तत्व उत्पन्न होते हैं
<p>श्वसनीय निलंबित पार्टिकुलेट मैटर (PM₁₀, आकार 10≤μm, मोटे अंश PM₁₀-PM_{2.5}) थोरेसिक अंश कहा जाता है) पार्टिकुलेट मैटर (PM) आसपास के गैसों के साथ अर्ध संतुलन में निलंबित ठोस और तरल कण का एक जटिल मिश्रण है। आर एस पी एम के प्रमुख घटक कार्बनिक और मौलिक कार्बन, धातु / तत्व जैसे सिलिकॉन, मैग्नीशियम, लोहा, आयर्न जैसे सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, अमोनियम आदि हैं। PM₁₀ श्वसनली और फेफड़ों में बस सकता है और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> विशेष रूप से डीजल वाहनों से सड़क यातायात उत्सर्जन औद्योगिक दहन, कुछ सार्वजनिक बिजली उत्पादन करता है वाणिज्यिक और आवासीय दहन गैर-दहन प्रक्रियाएं (जैसे उत्खनन) कृषि गतिविधियाँ 	<ul style="list-style-type: none"> कार्डियो-पल्मोनरी समस्याएं वृद्ध लोगों में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया 	<ul style="list-style-type: none"> दृश्यता में कमी
<p>पार्टिकुलेट मैटर 2.5 (PM_{2.5}), आकार 2.5μm, 2.5μm तक सूक्ष्म अंश आकार, श्वसनीय अंश) 2.5 माइक्रोन मीटर से छोटे वायुवहित कणों को महीन कण कहा जाता है। मुख्य रूप से कार्बनिस सामग्री (कार्बनिक और तात्विक), अकार्बनिक यौगिकों (सल्फेट, नाइट्रेट और अमोनियम) से बना है, और धातु यौगिकों</p>	<ul style="list-style-type: none"> वाहनजनित उत्सर्जन औद्योगिक दहन कुछ सार्वजनिक बिजली उत्पादन वाणिज्यिक और आवासीय दहन 	<ul style="list-style-type: none"> ऑक्सीडेटिव तनाव श्वसन संबंधी लक्षण जैसे वायुमार्ग में जलन, खांसी या सांस लेने में कठिनाई फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी बढ़े हुए अस्थमा 	<ul style="list-style-type: none"> सौंदर्य क्षति दृश्यता में कमी

<p>(लोहा, एल्यूमीनियम, निकल, तांबा, जस्ता, और सीसा) का पता लगाता है। सबसे बड़ी समस्याएँ, पीएम_{2.5}, फेफड़ों के गैस विनिमय क्षेत्रों में घुस कर करते हैं, और बहुत छोटे कण (<100 नैनोमीटर) फेफड़ों के माध्यम से अन्य अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे छोटे कण, हालांकि, 100 एनएम (नैनोकणों) से कम रक्तप्रवाह में मिल सकते हैं और हृदय प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● क्रोनिक ब्रॉकाइटिस ● अनियमित दिल की धड़कन कार्डियो - फुफुसीय विकार ● दिल या फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों में समय से पहले मृत्यु 	
<p>ओजोन (O₃) ओजोन एक धुंधली नीली गैस है, जो पानी में घुलनशील और गैर-ध्रुवीय सॉल्वेंट्स के साथ विशिष्ट तेज गंध होती है जो कुछ हद तक क्लोरीन ब्लीच जैसी होती है। ओजोन एक द्वितीयक प्रदूषक है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (वीओसी) के ऑक्साइड के बीच प्रतिक्रिया से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। शिखर O₃ स्तर आमतौर पर वर्ष के गर्म समय के दौरान होते हैं।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● कार के इंजन, औद्योगिक संचालन, रासायनिक सॉल्वेंट्स द्वारा उत्सर्जित हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड युक्त हवा पर सूर्य के प्रकाश की प्रतिक्रिया से ओजोन बनाने के लिए ● इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे फोटोकॉपीर्स 	<ul style="list-style-type: none"> ● फेफड़े की कार्यक्षमता कम हो जाती है ● साँस की बीमारी ● अकाल मृत्यु, अस्थमा, ब्रॉकाइटिस, दिल का दौरा, और अन्य कार्डियोपल्मोनरी समस्याएं। ● जमीनी स्तर ओजोन और प्रदूषण जो प्रकाश संश्लेषण के साथ हस्तक्षेप करते हैं और कुछ पौधों की प्रजातियों के समग्र विकास को कम करते हैं 	<ul style="list-style-type: none"> ● कार टायर, गैस्केट, ओ-रिंग, मे ओजोन क्रेकिंग चेन के टांचे के भीतर ओलेफिनिक या डबल बांड वाले किसी भी बहुलक पर ओजोन के हमले के कारण होता है ● उपरी क्षोभमंडल में मौजूद ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है, जो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित कुछ अवरक्त ऊर्जा को अवशोषित करता है।
<p>लैड लैड एक चमकदार, सघन, कोमल, अत्यधिक लचीला, नीले-सफेद रंग की धातु है जो विद्युत कूचालक धातु होती है और यह क्षरण के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होती है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● अपशिष्ट भस्मीकरण ● धातु प्रसंस्करण ● पेंट उद्योग ● भोजन के डिब्बे, स्तन के दूध, पीने के पानी, प्रसाधन सामग्री, चीनी मिट्टी के बर्तनों में जलाऊ लकड़ी या मिट्टी के तेल, स्वदेशी उपचार, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों, दूषित पेयजल, खिलौने, औद्योगिक अपशिष्टों, सीसा एसिड बैटरी, गोला बारूद, पेंट्स और वार्निशों, पानी के पाइप में लीड मिलाप ● ऑटोमोबाइल निकास, 	<ul style="list-style-type: none"> ● सीसा तेजी से रक्तप्रवाह में अवशोषित हो जाता है और माना जाता है कि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय प्रणाली, गुर्दे और प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ● रक्ताल्पता जैसे रक्त विकार, रक्तचाप में वृद्धि। ● शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन जो नरम ऊतकों और हड्डियों दोनों में जमा होता है। ● नेफ्रोपैथी, और पेट का दर्द। ● उंगलियों, कलाई या टखनों में कमजोरी। ● महिलाओं में गर्भपात और प्रजनन क्षमता में कमी, लड़कियों में यौवन में देरी ● बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता को स्थायी रूप से कम करता है 	
<p>कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) जिसे कार्बन ऑक्साइड भी कहा जाता है, एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है जो हवा से थोड़ी हल्की है। यह मनुष्यों और जानवरों के लिए अत्यधिक मात्रा में विषाक्त है। मुख्य रूप से कार्बन युक्त ईंधन के अधूरे दहन से बनता है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● आंतरिक दहन इंजन का निकास, विशेष रूप से पेट्रोल इंजन वाले वाहनों का ● कार्बन ईंधन का जलना ● अपशिष्ट भस्मीकरण में कार्बनिक दहन 	<ul style="list-style-type: none"> ● CO फेफड़ों के माध्यम से रक्तप्रवाह में प्रवेश करता है और हीमोग्लोबिन रूपों के साथ मिलकर कार्बोक्सीहेमोग्लोबिन बनाता है। इस स्थिति को एनोक्सिमिया के रूप में जाना 	

	<ul style="list-style-type: none"> पावर स्टेशन की प्रक्रिया लोहे की गलन फसल अवशेषों को जलाना 	<p>जाता है, जो रक्त की ऑक्सीजन को अंगों और ऊतकों तक ले जाने की क्षमता को रोकता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> दिल की बीमारी वाले व्यक्ति CO विषाक्तता के प्रति संवेदनशील होते हैं और यदि वह व्यायाम करते समय सांस लेते हैं तो सीने में दर्द का अनुभव हो सकता है। एक गर्भवती महिला के भ्रूण पर प्रतिकूल प्रभाव शिशुओं, बुजुर्ग व्यक्तियों और श्वसन रोगों वाले व्यक्ति भी विशेष रूप से संवेदनशील हैं। एंटिड्रुगमटोरिस, वासोडिलेटर और नव संवहनी विकास में प्रोत्साहक 	
<p>अमोनिया (NH₃) नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक, एक रंगहीन गैस जिसमें एक विशिष्ट तीखी गंध होती है। भोजन और उर्वरकों के अग्रदूत के रूप में कार्य करके स्थलीय जीवों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कई दवाइयों के संश्लेषण के लिए निर्माण खंड भी है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> कृषि क्षेत्र उर्वरक उद्योग औद्योगिक साइटें जो अमोनिया को स्टोर करती हैं या इसे एक शीतलकके रूप में उपयोग करती हैं, यदि रासायनिक रिसाव या फैलाव होता है, तो उच्च स्तर पर अमोनिया का निकास हो सकता है। 	<ul style="list-style-type: none"> त्वचा, आंखों, गले और फेफड़ों में जलन और खांसी का कारण जलन अमोनिया के बहुत अधिक सांद्रता के संपर्क में आने के बाद फेफड़ों की क्षति और मृत्यु तक हो सकती है 	<ul style="list-style-type: none"> गंध
<p>बेंजीन (C₆H₆) बेंजीन एक रंगहीन, मीठी महक वाला तरल है। जब भी कार्बन युक्त सामग्री अधूरा दहन से गुजरती है तो बेंजीन उत्पन्न होता है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ईंधन का दहन (मोटर वाहन ईंधन, लकड़ी और स्थिर जीवाश्म ईंधन, अन्य सुगंधित पदार्थ) वाष्पीकरण (ईंधन भंडारण कंटेनर, ईंधन भरने के दौरान) औद्योगिक उत्सर्जन कोक तंदूर परक्लोरोएथिलीन जो कुछ सूखी सफाई सुविधाओं से उत्सर्जित होता है तंबाकू का धुआँ, लकड़ी का धुआँ गोंद, पेंट, फर्नीचर मोम और डिटर्जेंट 	<ul style="list-style-type: none"> हेमेटोटाॉक्सिक, न्यूरोटाॉक्सिक, ल्यूकेमोजेनिक, कार्सिनोजेनिक प्रभाव बेंजीन के दीर्घकालिक संपर्क में गुणसूत्र क्षति, प्रतिरक्षा दमन, अप्लास्टिक अनीमिया, मायलोइड्सप्लास्टिक सिंड्रोम, ल्यूकेमिया, गैर-हॉजकिन्स लिफोमा और फेफड़ों और नासिकाशोथ का कैंसर हो सकता है। प्रजनन प्रणाली, भ्रूण और पुरुषों में प्रजनन क्षमता के विकास पर प्रभाव, जन्म के समय कम वजन, अस्थि निर्माण में देरी, और अस्थि मज्जा क्षति। 	
<p>पोलिरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (BaP) (पार्टिकुलेट फेज केवल) एक पांच-रिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन है, जिसके मेटाबोलाइट्स उत्परिवर्ती और अत्यधिक कैंसरकारी होते हैं।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ईंधन का अपूर्ण दहन (कोयले और कच्चे तेल का प्रसंस्करण) प्राकृतिक गैस का दहन सड़क परिवहन औद्योगिक कारखाना तंबाकू का धुआँ कोल तार 	<ul style="list-style-type: none"> म्यूटाजेनिक और अत्यधिक कैंसरकारी (त्वचा, फेफड़े, और मूत्राशय के कैंसर मनुष्यों में और जानवरों में) त्वचा में लाल चकत्ते या आंखों में जलन ब्रॉकाइटिस 	

	<ul style="list-style-type: none"> कार्बनिक पदार्थों के दहन से उत्पन्न सभी धुएँ, ऑटोमोबाइल निकास धुएँ (विशेष रूप से डीजल इंजन) जले हुए खाद्य पदार्थ जैसे कॉफी, जले हुए टोस्ट, पकाया हुआ मास, ग्रिल्ड खाद्य सामग्री। 		
<p>आर्सेनिक (As) एक ठोस स्तरित, ग्रेफाइट का एक रफल एनालॉग, रंग में धात्विक धूसर और एक अर्धचालक है। यह एक शक्तिशाली जहर है (IARC) आर्सेनिक और समूह 1 कार्सिनोजेन (IARC) के रूप में मान्य है</p>	<ul style="list-style-type: none"> धातुओं को गलाना, ईंधनों का दहन (विशेषकर निम्न श्रेणी के भूरे कोयले का) कीटनाशकों का प्रयोग। लकड़ी के संरक्षण, कांच का उत्पादन, गैर-धातु धातु मिश्र धातु, इलेक्ट्रॉनिक अर्धचालक विनिर्माण। स्मेल्टर उद्योग से जुड़ा कोक ओवन उत्सर्जन 	<ul style="list-style-type: none"> एपिजेनेटिक परिवर्तन मल्टी-सिस्टम अंग विफलता जहर के रूप में 	
<p>निकेल (Ni) एक चाँदी जैसी चमकदार क्षरण प्रतिरोधी धातु है जिसमें हल्का सुनहरा रंग है</p>	<ul style="list-style-type: none"> जीवाश्म ईंधन का दहन निकल चढ़ाना धातुकर्म प्रक्रियाएँ 	<ul style="list-style-type: none"> निकल सल्फाइड धूआं और धूल को कार्सिनोजेनिक माना जाता है एलर्जी, जिल्द की सूजन। पॉफोलिक्स वाले रोगियों में निकल से संवेदनशीलता भी मौजूद हो सकती है। 	<ul style="list-style-type: none"> हवा में विस्फोटक

परिशिष्ट-1.13.2 अ
(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.13.5.2; पृष्ठ 102)

औद्योगिक इकाइयों की सूची जिनमें सी टी ओ 31-03-18 तक वैध था

क्र. सं.	उद्योग - रैंड श्रेणी
1.	आर्मी वेलफ़ेर हाउसिंग संगठन
2.	देहरादून दुग्ध उत्पाद सहकारी संघ लिमिटेड, देहरादून
3.	एम एस डब्ल्यू प्रसंस्करण और निपटान सुविधा का विकास शीशमबाड़ा
4.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड
5.	शिवालिक रसायन लिमिटेड
क्र. सं.	उद्योग - ऑरेंज श्रेणी
1.	बामर लॉरी-वैन लीरलिमिटेड
2.	देहरादून प्रीमियर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3.	ई-ड्यूरैबल्स यूनिट-II
4.	शारदा होटल्स एंड टूर प्राइवेट लिमिटेड
5.	होटल सुरभि पैलेस इंडिया लिमिटेड
6.	हाउसहोल्ड फार्मास्यूटिकल्स
7.	जे के प्रिंट पैक्स
8.	प्रीमियर न्यूट्रास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
9.	रीडबर्ग फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
10.	सर्वेयर फार्मास्यूटिकल्स
11.	वर्व ह्यूमन केयर लैबॉरेटरीज
12.	विंडलास हेल्थकेयर
क्र. सं.	उद्योग - ग्रीन श्रेणी
1.	अलेक्सिया पैनल्स
2.	एम्बर एंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड. यूनिट-6
3.	एस्पायर ओरल केयर प्राइवेट लिमिटेड
4.	कोपरनिकस इंडिया
5.	ईज़ी मेट प्राइवेट लिमिटेड
6.	ई-ड्यूरैबल्स
7.	हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड
8.	इन्वोलेट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इन्वोलेट इंजीनियरिंग लिमिटेड)
9.	पी सी ज्वैलर लिमिटेड
10.	राजीव गाँधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सोसायटी (शापोरोजी पलॉजी और कम्पनी लिमिटेड।)
11.	वी एल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
12.	वी एल सी सी पर्सनल केयर लिमिटेड
13.	वैली होटल एंड रिसॉर्ट्स
क्र. सं.	उद्योग - व्हाइट श्रेणी
1.	क्लोवर ऑर्गेनिकस प्राइवेट लिमिटेड
2.	डिक्सन भूरजी मोल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड

परिशिष्ट-1.13.2 ब
(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.13.5.2; पृष्ठ 102)

औद्योगिक इकाइयों की सूची जिनमें सी टी ओ 31-03-18 तक वैध था

क्र. सं.	उद्योग का नाम	सी टी ओ स्थिति
1.	देहरादून दुग्ध उत्पाद सहकारी संघ लिमिटेड, देहरादून	31-03-18 तक वैध
2.	एम एस डब्ल्यू प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल फैसिलिटी विकास शीशमबाड़ा	
3.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	
4.	बामर लॉरी-वैन लीर लिमिटेड	
5.	ई-इयूरेबल्स यूनिट-II	
6.	होटल सुरभि पैलेस इंडिया लिमिटेड	
7.	हाउस होल्ड फार्मास्यूटिकल्स	
8.	जे के प्रिंट पैक्स	
9.	रिडेबुर्ग फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	
10.	सर्वेयर फार्मास्यूटिकल्स	
11.	वर्व ह्यूमन केयर लैबॉरेटरीज़	
12.	विंडलास हेल्थकेयर	
13.	अलेक्सिया पैनल्स	
14.	एम्बर एंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड यूनाइट-6	
15.	एस्पायर ओरल केयर प्राइवेट लिमिटेड	
16.	ईजी मैट प्राइवेट लिमिटेड	
17.	इन्वोलेट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	
18.	क्लोवर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	
19.	डिक्सन भूरजी मोल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड	

परिशिष्ट-1.13.2 स
(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.13.5.2; पृष्ठ 102)

औद्योगिक इकाइयों की सूची, जिन्हें कभी सी टी ओ नहीं मिला, लेकिन अभी भी संचालित हैं

क्र. सं.	उद्योग का नाम	सी टी ओ स्थिति
1.	आर्मी वेल्फेयर हाउसिंग ओर्गेनाइजेशन	सी टी ओ के लिए कभी आवेदन नहीं किया गया। केवल सी टी ई प्राप्त किया
2.	राजीव गाँधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सोसाइटी (शापोरोजी पलॉजी और कम्पनी लिमिटेड)।	
3.	वैली होटल एन रिसॉर्ट (स्पाइस)	

क्र. सं.	उद्योग का नाम	सी टी ओ स्थिति
1.	देहरादून प्रीमियर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	सी टी ई के लिए आवेदन किया लेकिन निरस्त कर दिया गया

परिशिष्ट-1.13.3

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.13.5.4; पृष्ठ 103)

प्रदूषण सूचकांक के समग्र स्कोर के वर्गीकरण की प्रणाली

सी पी सी बी दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्गीकरण प्रदूषण सूचकांक के समग्र स्कोर (0-100 अंक) के आधार पर किया जाएगा अर्थात यदि उद्योग 60 और उससे अधिक स्कोर करता है, तो इसे रेड श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा; यदि यह 41 से 59 स्कोर करता है, तो इसे ऑरेंज श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और यदि यह 21 से 40 स्कोर करता है, तो इसे ग्रीन श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 20 (20 सहित) अंक तक का उद्योग, को व्हाइट श्रेणी या गैर-प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सी पी सी बी के परिपत्र दिनांक 07.03.2016 में कहा गया है कि वर्गीकरण निम्न भारांक के अनुसार प्रदत्त प्रदूषण सूचकांक के समग्र स्कोर (0-100) के आधार पर किया जाएगा।

PM, CO, NO _x , SO _x , HMs, बेंजीन, अमोनिया और उद्योग के लिए प्रासंगिक अन्य विषाक्त मापदंडों के आधार पर वायु प्रदूषण स्कोर।	40 अंक
उद्योग के लिए प्रासंगिक Ph, TSS, NH ₃ -N, BOD, फिनोल और अन्य विषैले प्रदूषकों जैसे मापदंडों के आधार पर जल प्रदूषण स्कोर।	40 अंक
उद्योग द्वारा उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट (भूमि भराव योग्य, लाइलाज, पुनः प्रयोज्य)।	20 अंक
औद्योगिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले कचरे की प्रकृति के आधार पर पैरामीटर तय किए जाने हैं। केवल जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण वाले उद्योगों, को 100 स्कोर के सापेक्ष सामान्यीकृत किया जाएगा।	

दून घाटी अधिसूचना के अनुसार, (अ) 100 व्यक्तियों तक के गैर अप्रिय और गैर खतरनाक रोजगार वाले उद्योगों (अप्रिय और खतरनाक उद्योग वे हैं जो ज्वलनशील, विस्फोटक, संक्षारक या जहरीले पदार्थ का उपयोग करते हैं), (ब) सभी उद्योग जो प्रदूषणकारी प्रकृति के औद्योगिक अपशिष्टों का निर्वहन नहीं करते हैं और जो अधिसूचना में उल्लिखित किसी भी प्रक्रिया को नहीं करते हैं, और (स) सभी उद्योग जो अपनी निर्माण प्रक्रिया में या किसी सहायक प्रक्रिया में ईंधन का उपयोग नहीं करते हैं और जो एक विसरित प्रकृति के आशुलोपी उत्सर्जन का उत्सर्जन नहीं करते, उन्हें ग्रीन श्रेणी रंग में वर्गीकृत किया जाएगा।

इसके अलावा, (अ) सभी उद्योग, जो कुछ तरल अपशिष्टों (500 के एल प्रतिदिन से नीचे) का उत्सर्जन करते हैं, जिन्हें उपयुक्त सिद्ध प्रौद्योगिकी के साथ नियंत्रित किया जा सकता है, (ब) सभी उद्योग जिनमें कोयले / ईंधन की दैनिक खपत 24 मीट्रिक टन प्रति दिन से कम है और विशेष रूप से उत्सर्जन जिससे उपयुक्त सिद्ध प्रौद्योगिकी, को नियंत्रित किया जा सकता है और (स) 500 व्यक्तियों तक को रोजगार देने वाले सभी उद्योगों को ऑरेंज श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

इसके अलावा, (अ) सभी उद्योग जो 500 केएल प्रतिदिन की दर से प्रदूषणकारी प्रकृति के अपशिष्टों रिसाव करते हैं और जिन्हें पर्याप्त रूप से तनुकरण करने की प्राकृतिक प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है, और वे अपशिष्ट पदार्थ जिन्हें उपयुक्त प्रौद्योगिकी के उपयोग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, (ब) सभी उद्योग जिसमें 500 से अधिक व्यक्ति प्रति दिन कार्यरत हैं, और (स) सभी उद्योग जिनमें कोयला/ईंधन की दैनिक खपत 24 मीट्रिक टन प्रति दिन से अधिक है, को रेड श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

परिशिष्ट-2.2.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.2.8.2; पृष्ठ 149)

वितान न खोलने के कारण राजस्व की प्राप्ति न होने से संबन्धित विवरण

प्रभाग	वर्ष	प्रकाष्ठ	संभावित आयतन (घन मीटर में)	मृत, बीमार एवं उखड़े हुए वृक्षों के हटाने से प्राप्त वास्तविक आयतन (घन मीटर में)	कमी (घन मीटर में)	दर (₹ प्रति घन मीटर)	प्रकाष्ठ, जिसे पातित नहीं किया गया, की रॉयल्टी (₹ में)
तराई पूर्वी	2013-14	साल	10,447.40	0	10,447.40	30,785	32,16,23,209
		सैन	1,243.29	0	1,243.29	9,066	1,12,71,667
		जामुन	551.74	0	551.74	4,285	23,64,206
		कोकाट	1,767.55	0	1,767.55	6,314	1,11,60,311
	2014-15	साल	10,447.40	0	10,447.40	31,376	32,77,97,622
		सैन	1,243.29	0	1,243.29	8,634	1,07,34,566
		जामुन	551.74	0	551.74	4,264	23,52,619
		कोकाट	1,767.55	0	1,767.55	6,270	1,10,82,539
	2015-16	साल	10,447.40	0	10,447.40	34,923	36,48,54,550
		सैन	1,243.29	0	1,243.29	8,288	1,03,04,388
		जामुन	551.74	0	551.74	4,636	25,57,867
		कोकाट	1,767.55	0	1,767.55	6,988	1,23,51,639
योग (अ)					42,029.94		108,84,55,183
कालसी	2013-14	साल	2,168.91	313.19	1,855.72	20,218	3,75,18,947
		सैन	1,043.03	0	1,043.03	6,348	66,21,154
		कोकाट	1,788.05	0	1,788.05	6,015	1,07,55,121
	2014-15	साल	2,168.91	977.22	1,191.69	18,903	2,25,26,516
		सैन	1,043.03	0	1,043.03	6,077	63,38,493
		कोकाट	1,788.05	0	1,788.05	5,628	1,00,63,145
	2015-16	साल	2,168.91	1,129.50	1,039.41	20,459	2,12,65,289
		सैन	1,043.03	0	1,043.03	6,287	65,57,530
		कोकाट	1,788.05	0	1,788.05	4,733	84,62,841
	2016-17	साल	2,168.91	297.90	1,871.01	21,068	3,94,18,439
		सैन	1,043.03	0	1,043.03	6,248	65,16,851
		कोकाट	1,788.05	0	1,788.05	4,662	83,35,889
	2017-18	साल	2,168.91	360.59	1,808.32	21,550	3,89,69,296
		सैन	1,043.03	0	1,043.03	5,761	60,08,896
		कोकाट	1,788.05	0	1,788.05	5,348	95,62,491
योग (ब)					21,921.55		238,920,899
रामनगर	2013-14	साल	13,179.60	1,249.62	11,929.98	30,785	36,72,64,311.20
	2014-15	साल	12,727.68	961.63	11,766.05	32,376	38,09,37,667.20
	2015-16	साल	8,661.33	918.65	7,742.68	34,923	27,03,97,648.60
	2016-17	साल	2,504.31	136.37	2,367.93	37,794	8,94,93,659.80
	2017-18	साल	12,827.39	966.38	11,861.02	35,292	41,85,99,012.00
	योग (स)					45,667.66	

देहरादून	2013-14	साल	3,207.33	235.02	2,972.31	20,218	6,00,94,073	
		सैन	2,937.11	38.27	2,898.84	6,348	1,84,01,844	
		कोकाट	2,355.56	13.51	2,342.05	6,015	1,40,87,450	
	2014-15	साल	3,207.33	354.408	2,852.92	18,903	5,39,28,709	
		सैन	2,937.11	38.5963	2,898.51	6,077	1,76,14,274	
		कोकाट	2,355.56	6.5647	2,349.00	5,628	1,32,20,162	
	2015-16	साल	3,207.33	206.1165	3,001.21	20,459	6,14,01,745	
		सैन	2,937.11	10.621	2,926.49	6,287	1,83,98,843	
		कोकाट	2,355.56	1.8694	2,353.69	4,733	1,11,40,032	
	2016-17	साल	3,207.33	542.3766	2,664.95	21,068	5,61,45,154	
		सैन	2,937.11	11.8359	2,925.28	6,248	1,82,77,119	
		कोकाट	2,355.56	2.1807	2,353.38	4,662	1,09,71,468	
	2017-18	साल	3,207.33	235.4723	2,971.85	21,550	6,40,43,447	
		सैन	2,937.11	8.3369	2,928.77	5,761	1,68,72,668	
		कोकाट	2,355.56	3.942	2,351.62	5,348	1,25,76,469	
	योग (द)					40,790.88		44,71,73,763
	महा योग (अ+ब+स+द)					150,410.03		330,12,42,216

स्रोत: विभाग से एकत्रित सूचना।

नोट: यद्यपि पातन से प्राप्त होने वाला आयतन केवल साल से प्राप्त होना था, जैसा कि कार्य योजना में प्रावधान किया गया है, फिर भी लेखापरीक्षा ने इसे वनों में उपलब्ध साल, सैन, जामुन एवं कोकाट की वृक्ष निधि अनुपात में विभाजित करके इसे तर्कसंगत बनाया है।

परिशिष्ट-2.2.2

(संदर्भ: प्रस्तर 2.2.8.3; पृष्ठ 150)

चिन्हीकरण के अभाव में पातन न होने के कारण राजस्व प्राप्त न होने का विवरण

प्रभागीय वनाधिकारी तराई केंद्रीय							
ब्लॉक/प्लॉट	कार्य वृत्त	पातन हेतु वर्ष	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	उत्पादकता (घन मीटर प्रति हेक्टेयर में)	प्रकाष्ठ जो उत्पादित नहीं हो सका (घन मीटर में)	यूकेलिप्टस की दर (₹ प्रति घन मीटर में)	राजस्व की क्षति (₹ में)
पीपलपड़ाव 92 अ	पल्पवुड (यूकेलिप्टस)	2013-14	12.00	27.561	330.7320	1,832	6,05,901.024
पीपलपड़ाव 100	पल्पवुड		26.80	27.561	738.6348	1,832	13,53,178.954
पीपलपड़ाव 114	पल्पवुड		44.61	27.561	1,229.4960	1,832	22,52,437.057
योग (अ)			83.41		2,298.8628		42,11,516.650
ब्लॉक/प्लॉट	कार्य वृत्त	पातन हेतु वर्ष	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	उत्पादकता (घन मीटर प्रति हेक्टेयर में)	साल प्रकाष्ठ जो उत्पादित नहीं हो सका (घन मीटर में)	साल की दर (₹ प्रति घन मीटर में)	राजस्व की क्षति (₹ में)
मोना 1	साल निम्नगिरि	2013-14	120.28	आवश्यक नहीं क्योंकि संभावित उत्पादन प्रभाग द्वारा उपलब्ध करवाया गया	820.07	30,785	2,52,45,824.17
काठगोदाम 13	साल निम्नगिरि	2014-15	183.30		1,273.02	31,376	3,99,42,212.77
देचौरी-2	साल निम्नगिरि	2016-17	647.51		4,412.78	37,794	16,67,76,607.30
कैलाखुर 6 ब	साल निम्नगिरि	2017-18	178.10		1213.04	35,292	4,28,10,607.68
योग (ब)			1,129.19		7,718.91		27,47,75,345.47
महायोग (अ + ब)			1,212.60		10,017.7728		27,89,86,862.120

परिशिष्ट-2.2.3

(संदर्भ: प्रस्तर 2.2.8.4; पृष्ठ 150)

उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा पातन न किए जाने से रॉयल्टी प्राप्त न होने का विवरण

प्रभाग	लॉटों की संख्या	प्रथम बार आवंटन का वर्ष	पातित नहीं की गई प्रकाष्ठ का आयतन घन मीटर में	पातित नहीं की गई प्रकाष्ठ की रॉयल्टी (करोड़ ₹ में)
रामनगर	01	2010-11	1,728.79	3.16
	03	2011-12		
	01	2012-13		
	01	2013-14		
	02	2014-15		
	03	2015-16		
	08	2016-17		
	01	2017-18		
तराई केंद्रीय	15	2017-18	39,228.89	11.12
योग	35		40,957.68	14.28

परिशिष्ट-2.2.4 अ

(संदर्भ: प्रस्तर 2.2.8.7; पृष्ठ 153)

ठोस, योग्य एवं अयोग्य वृक्षों की श्रेणियों के वर्गीकरण के मापदण्ड

वर्गीकरण	केवल साल, सैन एवं चीड़ के लिए	साल, सैन, चीड़, खैर एवं सांदन को छोड़कर अन्य सभी प्रजातियों के लिए	खैर के लिए (केवल योग्य एवं अयोग्य में वर्गीकृत)	सांदन के लिए (केवल योग्य एवं अयोग्य में वर्गीकृत)
ठोस	67-100 प्रति शत अर्थात् 2/3 अथवा इससे अधिक तना सीधा एवं दोषरहित है।	जो वृक्ष किसी भी भाग से कम से कम 10 फीट या अधिक लंबाई का एक ठोस एवं पर्याप्त सीधा ऐसा बेलनाकार लट्टा प्रदान कर सके जिसका मध्य व्यास वृक्ष स्थल की लंबाई पर व्यास के 4/5 से कम न हो।	लागू नहीं	लागू नहीं
योग्य	34-66 प्रति शत अर्थात् 2/3 अथवा इससे अधिक तना सीधा एवं दोषरहित है।	जैसा ठोस वृक्ष के लिए दिया गया है सिवाय इसके कि लट्टे की लंबाई 5 फीट से लेकर 10 फीट से कम तक होगी।	एक योग्य वृक्ष वह होता है जो कम से कम 8 फीट का एक लट्टा उत्पन्न कर सके और जिसका छाल के ऊपर व्यास कम से कम 8 इंच हो और जो कत्या उत्पादन के योग्य हो।	एक योग्य वृक्ष वह होता है जो कम से कम दो स्वस्थ एवं सीधे लट्टे, जिनकी लंबाई तीन फीट हो एवं व्यास आठ इंच से कम न हो, उत्पन्न कर सके।
अयोग्य	0-33 प्रति शत अर्थात् 2/3 अथवा इससे अधिक तना सीधा एवं दोषरहित है।	जैसा ठोस वृक्ष के लिए दिया गया है सिवाय इसके कि लट्टे की लंबाई 5 फीट से कम होगी।	उपरोक्त में वर्गीकृत न हो सकने वाला वृक्ष अयोग्य वृक्ष होगा।	उपरोक्त में वर्गीकृत न हो सकने वाला वृक्ष अयोग्य वृक्ष होगा।

नोट: 12 इंच या इससे अधिक व्यास के सभी वृक्षों को ठोस, योग्य एवं अयोग्य में वर्गीकरण किया जाना चाहिए। 12 इंच से कम का वर्गीकरण केवल योग्य एवं अयोग्य में करना चाहिए।

परिशिष्ट-2.2.4 ब

(संदर्भ: प्रस्तर 2.2.8.7; पृष्ठ 154)

वास्तविक उत्पादन पर रॉयल्टी का भुगतान न होने के कारण राजस्व की क्षति का विवरण

वर्ष	रामनगर वन प्रभाग					देहरादून वन प्रभाग					
	अनुमानित आयतन (घन मीटर में)	वास्तविक आयतन (घन मीटर में)	अंतर (घन मीटर में)	रॉयल्टी (₹/घन मीटर)	अनुमानित रॉयल्टी (₹ में)	अनुमानित आयतन (घन मीटर में)	वास्तविक आयतन (घन मीटर में)	अंतर (घन मीटर में)	रॉयल्टी (₹/घन मीटर)	अनुमानित रॉयल्टी (₹ में)	
2013-14	5,214.707	7,782.2171	2,567.5101	6,314	1,62,11,258.77	7,593.916	9,786.7607	2,192.845	6,014	1,31,87,771.03	
2014-15	6,123.282	9,525.9417	3,402.6597	6,270	2,13,34,676.32	15,636.67	20,106.354	4,469.683	5,627	2,51,50,905.12	
2015-16	5,061.553	7,621.2236	2,559.6706	6,988	1,78,86,978.15	11,699.82	14,998.016	3,298.194	4,732	1,56,07,053.53	
2016-17	2,783.779	4,916.9069	2,133.1279	5,759	1,22,84,683.58	19,575.43	24,395.454	4,820.021	4,662	2,24,70,938.37	
कुल अनुमानित रॉयल्टी (अ)					6,77,17,596.82	कुल अनुमानित रॉयल्टी (ब)					7,64,16,695.25
वर्ष	तराई केंद्रीय वन प्रभाग हल्द्वानी					तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी					
	अनुमानित आयतन (घन मीटर में)	वास्तविक आयतन (घन मीटर में)	अंतर (घन मीटर में)	रॉयल्टी (₹/घन मीटर)	अनुमानित रॉयल्टी (₹ में)	अनुमानित आयतन (घन मीटर में)	वास्तविक आयतन (घन मीटर में)	अंतर (घन मीटर में)	रॉयल्टी (₹/घन मीटर)	अनुमानित रॉयल्टी (₹ में)	
2013-14	49,093.35	61,547.80	12,454.45	6,314	7,86,37,397.30	31,375.46	40,127.745	8,752.283	6,314	5,52,61,916.12	
2014-15	61,629.20	80,403.46	18,774.26	6,270	11,77,14,610.20	45,975.05	63,339.686	17,364.630	6,270	10,88,76,248.30	
2015-16	44,254.46	56,880.23	12,625.77	6,988	8,82,28,880.76	56,426.42	78,122.531	21,696.110	6,988	15,16,12,400.60	
2016-17	2,986.915	3,363.555	376.64	5,759	21,69,069.76	42,682.86	57,814.827	15,131.970	5,759	871,44,990.47	
कुल अनुमानित रॉयल्टी (स)					28,67,49,958.02	कुल अनुमानित रॉयल्टी (द)					40,28,95,616.83
वर्ष	कालसी वन प्रभाग, कालसी					तराई पश्चिमी वन प्रभाग					
	अनुमानित आयतन (घन मीटर में)	वास्तविक आयतन (घन मीटर में)	अंतर (घन मीटर में)	रॉयल्टी (₹/घन मीटर)	अनुमानित रॉयल्टी (₹ में)	अनुमानित आयतन (घन मीटर में)	वास्तविक आयतन (घन मीटर में)	अंतर (घन मीटर में)	रॉयल्टी (₹/घन मीटर)	अनुमानित रॉयल्टी (₹ में)	
2013-14	3,609.198	4,684.8879	1,075.6901	6,014	64,69,200.261	9,769.124	10,300.6234	531.4994	6,314	33,55,887.20	
2014-15	7,901.630	9,629.1181	1,727.4885	5,627	97,20,577.790	16,813.819	18,968.5678	2,154.7488	6,270	1,35,10,275.00	
2015-16	4,590.895	5,912.9658	1,322.0713	4,732	62,56,041.392	25,206.578	24,424.6726	-781.9054	6,988	-54,63,954.90	
2016-17	5,192.267	6,310.0398	1,117.7733	4,662	52,11,059.125	91.329	100.6777	9.3487	5,759	53,839.16	
कुल अनुमानित रॉयल्टी (य)					2,76,56,870.418	कुल अनुमानित रॉयल्टी (र)					1,14,56,046.41
महायोग (अ) + (ब) + (स) + (द) + (य) + (र) = ₹ 87,28,92,793.75											

नोट: अनुमानित रॉयल्टी की गणना करने के लिए कोकाट(एक मिश्रित प्रजाति) की रॉयल्टी की दरें लागू की गई हैं।

परिशिष्ट-2.2.5
(संदर्भ: प्रस्तर 2.2.8.12; पृष्ठ 159)

अवैध पातन का विवरण

क्र. सं.	इकाई का नाम	वर्ष	अवैध पातन के मामलों की संख्या	अवैध पातित वृक्षों की संख्या	अवैध पातितप्रकाष्ठ का आयतन (घन मीटर में)	अवैध पातित प्रकाष्ठ का मूल्य (₹ में)	अवैध पातित प्रकाष्ठ का आयतन जो बरामद नहीं किया जा सका (घन मीटर में)	अवैध पातित प्रकाष्ठ, जो बरामद नहीं किया जा सका, का मूल्य (₹ में)
1.	प्रभागीय वनाधिकारी तराई केंद्रीय वन प्रभाग हल्द्वानी	2013-14	125	317	99.02	17,43,581	10.61	+
		2014-15	53	83	53.34	11,10,420	2.81	+
		2015-16	45	45	39,255	11,63,785	6.229	1,29,539
		2016-17	26	40	19,108	4,27,574	1.5593	12,925
		2017-18	15	22	16,819	4,68,158	3.096	92,839
		योग	264	507	227.542	49,13,518	24.3043	2,35,303
2.	प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी	2013-14	126	184	123.2310	21,74,757	31.1801	4,50,557
		2014-15	121	187	120.3701	24,82,234	13.051	4,59,106
		2015-16	124	162	104.6895	18,77,064	10.0991	+
		2016-17	123	162	119.1280	23,65,391	-	+
		2017-18	104	139	87.6835	17,33,141	16.019	2,69,952
		योग	598	834	555.1021	1,06,32,587	70.3492	11,79,615
3.	प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी	2013-14	28	49	8.311	1,04,236	3.4971	50,692
		2014-15	28	57	10.249	1,92,627	1.9417	59,505
		2015-16	24	57	5.147	85,910	-	35,157
		2016-17	18	30	4.318	71,232	0.1234	+
		2017-18	21	42	13.459	1,38,788	6.1714	49,745
		योग	119	235	41.484	5,92,793	11.7336	1,95,099
4.	प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल	2013-14	20	13	9.142	24,215	6.262	18,871
		2014-15	-	-	-	-	-	-
		2015-16	2	6	-	150	-	150
		2016-17	5	18	1.22	700	1.22	700
		2017-18	6	13	4.16	3,925	4.16	3,925
		योग	33	50	14.522	28,990	11.642	23,646
5.	प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग रामनगर	2013-14	25	39	20.3800	3,08,737	2.051	51,096
		2014-15	39	75	29.7360	6,40,888	-	1,02,697
		2015-16	24	138	38.0676	5,68,761	2.3029	+
		2016-17	19	50	15.9280	2,99,513	2.3522	+
		2017-18	20	45	30.6118	3,68,280	6.0418	34,192
		योग	127	347	134.7234	21,86,179	12.7479	1,87,985
6.	प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग टिहरी	2013-14	13	22	11.274	24,365	8.5892	15,673
		2014-15	11	18	9.788	22,922	9.4633	21,689
		2015-16	24	49	17.711	32,549	14.8216	21,483
		2016-17	10	55	11.356	42,194	11.356	42,194
		2017-18	14	60	5.158	28,884	4.6618	26,731
		योग	72	204	55.287	1,50,914	48.8919	1,27,770
7.	प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर	2013-14	71	341	96.7670	14,37,526	41.9850	5,80,003
		2014-15	97	258	96.1030	16,26,741	27.8850	+
		2015-16	127	405	123.5464	20,75,189	22.3426	+
		2016-17	128	311	102.6364	13,90,700	6.8778	+
		2017-18	87	208	70.0650	11,59,511	8.6875	2,47,518
		योग	510	1523	489.1178	76,89,667	107.7779	8,27,521
8.	प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़	2013-14	49	112	57.293	1,18,014	51.0220	78,014
		2014-15	26	105	31.416	69,494	30.6280	65,869
		2015-16	15	23	14.497	1,07,856	11.9295	+
		2016-17	14	46	35.542	1,53,081	34.0856	1,34,805
		2017-18	14	31	44.861	1,20,819	44.8610	1,20,819
		योग	118	317	183.609	5,69,264	172.5261	3,99,507

9.	प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून	2013-14	28	46	18.9590	4,14,656	6.7259	3,22,908.00
		2014-15	32	54	58.5099	7,42,396	25.5133	2,49,984.25
		2015-16	27	46	44.3960	2,98,370	27.6797	2,07,857.00
		2016-17	23	41	32.9720	3,53,771	24.2157	2,89,435.00
		2017-18	29	45	24.7010	2,31,104	5.4385	1,71,038.00
	योग	139	232	179.5379	20,40,297	89.5731	12,41,222.25	
10.	निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व	2013-14	98	205	74.4030	6,17,164	36.5770	2,18,818.53
		2014-15	61	120	41.2630	3,43,002	21.0354	1,73,612.04
		2015-16	58	77	54.2790	4,63,623.74	42.8390	3,78,942.21
		2016-17	48	63	36.4074	5,87,645	9.3066	3,74,687.00
		2017-18	34	59	21.9200	2,10,511	13.4886	2,23,514.00
	योग	299	524	228.2724	22,21,945.74	123.2466	13,69,573.78	
	महायोग	2,279	4,773	2,109.198	3,10,26,155	672.7926	57,87,242.03	

*नकारात्मक अंतर को नहीं लिया गया है।

परिशिष्ट-2.2.6

(संदर्भ: प्रस्तर 2.2.9.1; पृष्ठ 159)

लीसा के कम उत्पादन से क्षति

प्रभाग	फसल वर्ष	लीसा घावों की संख्या	उत्पादन का मानक (किलोग्राम प्रति घाव)	संभावित उत्पादन क्विंटल में	वास्तविक उत्पादन क्विंटल में	कम उत्पादन क्विंटल में	2014-17 के दौरान प्राप्त न्यूनतम दर (₹ प्रति क्विंटल)	क्षति ₹ में
बद्रीनाथ	2014	2,39,500	3.50	8,383	7,201	1,182	4,500	53,19,000
	2015	2,57,000		8,995	8,041	954		42,93,000
	2016	2,57,000		8,995	8,715	280		12,60,000
	2017	2,57,000		8,995	7,729	1,266		56,97,000
टिहरी	2014	1,41,600		4,956	3,321	1,635	73,57,500	
योग						5,317		2,39,26,500 या (₹ 2.39 करोड़)

परिशिष्ट-2.2.7

(संदर्भ: प्रस्तर 2.2.10.1; पृष्ठ संख्या 162)

उपखनिजों के कम उत्पादन से अभिवहन शुल्क की नदी-वार क्षति का विवरण

वर्ष	तराई पश्चिमी प्रभाग				तराई पूर्वी प्रभाग				शुद्ध कम उत्पादन (घन मीटर में)	अभिवहन शुल्क की दर (₹ प्रति घन मीटर में)	कम उत्पादन के कारण अभिवहन शुल्क की क्षति (₹ में)
	कोसी		दाबका		गोला		कैलाश/नन्धीर				
	लक्ष्य (घन मीटर में)	प्राप्ति (घन मीटर में)	लक्ष्य (घन मीटर में)	प्राप्ति (घन मीटर में)	लक्ष्य (घन मीटर में)	प्राप्ति (घन मीटर में)	लक्ष्य (घन मीटर में)	प्राप्ति (घन मीटर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = स्तम्भ (2+4+6+8) - स्तम्भ(3+5+7+9)	(11)	(12) = स्तम्भ 10*11
2013-14	11,49,000	9,99,640	3,02,000	3,44,512	54,25,000	54,07,254	21,00,000	20,96,542	1,28,052 (89,76,000-88,47,948)	90	11,524,680
2014-15	11,49,000	2,44,189	3,02,000	74,671	54,25,000	54,16,963	21,00,000	15,83,544	16,56,633 (89,76,000-73,19,367)	27	4,47,29,091
2015-16	11,49,000	3,12,828	2,72,027	39,472	54,25,000	44,35,879	21,00,000	8,02,496	33,55,352 (89,46,027-55,90,675)	33	11,07,26,616
2016-17	2,52,499	2,52,672	32,587	32,560	37,34,000	37,46,613	17,42,000	0	17,29,241 (57,61,086-40,31,845)	33	5,70,64,953
2017-18	5,03,602	501965	76,712	76,674	40,14,000	40,12,836	17,42,000	2,30,200	15,14,639 (63,36,314-48,21,675)	110	16,66,10,290
योग (अ)									83,83,917 (3,89,95,427-3,06,11,510)		39,06,55,630
वर्ष	देहरादून प्रभाग								शुद्ध कम उत्पादन (घन मीटर में)	अभिवहन शुल्क की दर (₹ प्रति घन मीटर में)	कम उत्पादन के कारण अभिवहन शुल्क की क्षति (₹ में)
	सोंग-1		सोंग-2		सोंग-3		जाखन-1				
	लक्ष्य (घन मीटर में)	प्राप्ति (घन मीटर में)	लक्ष्य (घन मीटर में)	प्राप्ति (घन मीटर में)	लक्ष्य (घन मीटर में)	प्राप्ति (घन मीटर में)	लक्ष्य (घन मीटर में)	प्राप्ति (घन मीटर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = स्तम्भ (2+4+6+8) - स्तम्भ(3+5+7+9)	(11)	(12) = स्तम्भ 10*11
2013-14	3,75,000	3,75,030	4,25,000	2,79,323	3,00,000	2,77,843	3,25,000	2,20,970	2,71,834 (14,25,000-11,53,166)	90	2,44,65,060
2014-15	3,75,000	3,72,765	4,25,000	2,08,632	3,00,000	1,38,872	3,25,000	98,830	6,05,901 (14,25,000-8,19,099)	27	1,63,59,327
2015-16	3,75,000	2,42,928	4,25,000	68,407	3,00,000	1,70,583	3,25,000	48,798	8,94,284 (14,25,000-5,30,716)	33	2,95,11,372
2016-17	3,75,000	2,58,777	4,25,000	31,175	3,00,000	2,45,420	3,25,000	1,34,704	7,54,924 (14,25,000-6,70,076)	33	2,49,12,492
2017-18	3,06,818	2,67,119	3,47,727	41,497	3,00,000	2,41,214	1,47,027	1,37,380	4,14,362 (11,01,572-6,87,210)	110	4,55,79,820
योग (ब)									29,41,305 (88,01,572-38,60,267)		14,08,28,071
महा योग (अ + ब)									1,13,25,222		53,14,83,701

स्रोत: विभाग एवं उत्तराखण्ड वन विकास निगम से एकत्रित सूचना।

परिशिष्ट-2.2.8

(संदर्भ:प्रस्तर 2.2.10.4; पृष्ठ संख्या 165)

प्रीमियम एवं पट्टा किराए की गलत गणना एवं कम/न वसूली का विवरण

इकाई का नाम	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	शासन/विभाग का उत्तर	रिबटल	मौद्रिक मूल्य	प्रीमियम एवं पट्टा किराया की गणना
(I) प्रभागीय वनाधिकारी तराई केंद्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी	1) 0.2075 हेक्टेयर (2075 वर्ग मीटर) वन भूमि 1997 में 30 वर्ष का पट्टा पर किच्छा शुगर कंपनी (बमेठा बोंगर खीमा, हल्दुचौड, नैनीताल). को दी गई उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 21 मई 1997 के अनुसार, प्रीमियम सर्किल दर के अनुसार वर्तमान बाजार मूल्य पर भुगतान किया जाना था एवं प्रीमियम का 10 प्रति शत की दर से पट्टा किराया भी कंपनी द्वारा भुगतान किया जाना था। प्रीमियम एवं पट्टा किराया के भुगतान के बाद भूमि पट्टा गृहिता को हस्तांतरित की जानी थी। लेकिन न तो प्रीमियम और न ही पट्टा किराया ही लेखापरीक्षा की तिथि तक भुगतान किया गया।	पट्टा गृहिता एवं संबन्धित जिलाधिकारी के साथ भूमि के सर्किल दर के विषय में पत्र व्यवहार किया जा रहा है।	यह विभाग की ज़िम्मेदारी है की वह प्रीमियम एवं पट्टा किराया की गणना (जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित राजस्व ग्राम के सर्किल दर के अनुसार) करे और पट्टा गृहिता से उक्त राशि वसूल करे।	प्रीमियम ₹ 72,62,500 पट्टा किराया ₹ 1,59,77,500 ₹ 2,32,40,000	प्रीमियम ₹ 3,500 (सर्किल दर प्रति वर्ग मीटर जैसा की 14 जनवरी 2018 को मुख्य सड़क से 200 मीटर से अधिक की दूरी पर अकृषि भूमि के लिए लागू था) x 2,075 वर्ग मीटर (भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में) (पट्टा के नवीनीकरण के लिए). पट्टा किराया ₹ 72,62,500 (प्रीमियम) x 10 प्रति शत x 22 वर्ष.
	2) 2.83 हेक्टेयर (28300 वर्ग मीटर) वन भूमि पट्टे पर सर्व श्री हरिदत्त नित्यानन्द विद्यालय हल्द्वानी तल्ली हल्द्वानी को दी गई जो की 1991 में समाप्त हो गई। पट्टा लेखापरीक्षा की तिथि तक पुनः नवीनीकृत नहीं की गई।	पट्टा का नवीनीकरण पट्टा गृहिता के असहयोग के कारण पडा रहा।	उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पट्टा गृहिता के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई।	प्रीमियम ₹ 9,03,02,727 पट्टा किराया ₹ 12,19,08,672 ₹ 21,22,11,399	प्रीमियम ₹ 11,700 (सर्किल दर प्रति वर्ग मीटर) x 28,300 वर्ग मीटर (भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में) x 27 वर्ष (1992 से 2018 तक)/99 (पट्टा के नवीनीकरण के लिए) पट्टा किराया ₹ 9,03,02,727 (प्रीमियम) x 5 प्रति शत(व्यापारिक उद्देश्य के लिए) x 27 वर्ष.
	3) 380.47 हेक्टेयर वन भूमि पट्टे पर उत्तर प्रदेश (वर्तमान में उत्तराखण्ड) सैनिक पुनर्वास संस्था फार्म हाउस उधमसिंह नगर को दी गई थी जो की 1991 में समाप्त हो गई। पट्टा लेखापरीक्षा की तिथि तक पुनः नवीनीकृत नहीं की गई।	पट्टा गृहिता को 28.08.2017 को पत्र भेजा गया कि वह पट्टा नवीनीकरण प्रस्ताव को ऑनलाइन अपलोड कर दे किन्तु पट्टा गृहिता के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।	कोई भी उपयुक्त कार्यवाही विभाग के द्वारा नहीं गई जिससे की प्रीमियम एवं पट्टा किराया की वसूली हो सके।	प्रीमियम ₹ 1,29,70,56,818 पट्टा किराया ₹ 35,02,05,336 ₹ 1,64,72,62,154	प्रीमियम {₹ 1,25,00,000 (सर्किल दर प्रति हेक्टेयर) x 380.47 हेक्टेयर (भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में) x 27 वर्ष (1992 से 2018 तक)/99 (पट्टा के पुनः नवीनीकरण के लिए). पट्टा किराया ₹ 1,29,70,56,818 (प्रीमियम) x 1 प्रति शत(कृषि उद्देश्यों के लिए) x 27 वर्ष.
योग (I)				₹ 1,88,27,13,553	

<p>(2) प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी</p>	<p>1) 0.679 हेक्टेयर वन भूमि 30 वर्ष घुत्तु से पंवाली कांठा तक मैटीरियल हैण्डलिंग रोपवे बनाने के लिए दी गई। प्रीमियम एवं पट्टा किराये की धनराशि की गणना जिलाधिकारी द्वारा गलत की गई। जिलाधिकारी के द्वारा गणना - प्रीमियम= वन भूमि का क्षेत्रफल * प्रति हेक्टेयर दर * पट्टा अवधि (0.679*423500*30/99=87138) एक वर्ष का किराया = प्रीमियम *10% (₹ 87,138 *10%)=₹ 8,713.80 अर्थात् ₹8,714 30 वर्ष का किराया = ₹ 8,714*30 = ₹ 2,61,420 किराया = प्रीमियम * 10% (87138 X 10%= 8713.80 या 8714X30वर्ष= 261420) ऑडिट के अनुसार - प्रीमियम = वन भूमि का क्षेत्रफल * प्रति हेक्टेयर दर= 0.679*423500 =287557 किराया = प्रीमियम*10% (287557*10%*30 वर्ष) 2) 4.8 हेक्टेयर वन भूमि पावर गिड कार्परेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कोटेश्वर नई टिहरी को 35 वर्षों के लिए पट्टे पर दी गई। जिलाधिकारी ने भूमि के पट्टा किराए की मासिक किश्त की गणना ₹ 33,939 (अर्थात् 35 वर्ष x ₹ 33939 = ₹ 11,87,865 35 वर्ष के लिए). किन्तु पट्टा गृहिता ने ₹ 11,87,865 के बजाये एक बार में ₹ 33,939 की राशि 35 वर्षों के लिए जमा करदी इस प्रकार पट्टा गृहिता के द्वारा पट्टे किराये का कम भुगतान किया।</p>	<p>पट्टा किराए की पुनः गणना के लिए पत्र व्यवहार जिलाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है एवं तदनुसार बकाया वसूल कर लिया जाएगा। शेष 34 वर्षों के पट्टा किराए को वसूली के लिए प्रक्रिया गतिमान है।</p>	<p>विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया। विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया।</p>	<p>1) प्रीमियम वास्तविक भुगतान योग्य: ₹ 2,87,557 भुगतान किया: ₹ 87,139 कम भुगतान: ₹ 2,00,418 पट्टा किराया वास्तविक भुगतान योग्य: ₹ 8,62,680 भुगतान किया: ₹ 2,61,420 कम भुगतान: ₹ 6,01,260 ₹ 8,01,678</p> <p>2) पट्टा किराया वास्तव में भुगतान योग्य: ₹11,87,865 भुगतान किया: ₹33,939 कम भुगतान: ₹ 11,53,926</p>	<p>प्रीमियम {₹ 4,23,500 (सर्किल दर प्रति हेक्टेयर) x 0.679 हेक्टेयर (भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में)} (नये पट्टे के लिए). पट्टा किराया ₹ 2,87,557 (प्रीमियम) x 10 प्रति शत (अर्थात् ₹ 28,756) x 30 वर्ष (नये पट्टे के लिए) पट्टा किराया ₹ 33,93,939.40 (प्रीमियम) x 1 प्रति शत (अर्थात् ₹ 33,939) x 35 वर्ष (नये पट्टे के लिए).</p>
योग (ii)				₹ 19,55,604	
<p>(3) प्रभागीय वनाधिकारीतराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी</p>	<p>1) उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 156/7-1-2005-500(826)2002 दिनांक 09 सितंबर 2005 के अनुसार प्रीमियम की गणना (जिलाधिकारी की वर्तमान बाजार दर * पट्टा अवधि/99) की जाती थी एवं वार्षिक पट्टा किराया व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दी गई पट्टों के लिए प्रीमियम का 5 प्रति शत था। 160.4164 हेक्टेयर (1604164 वर्ग मीटर) वन भूमि सेंचुरी पेपर मिल लाल कुआं को दी गई।इसकी पट्टा अवधि दिसंबर 2013 में समाप्त हो गई एवं इसका नवीनीकरण अगस्त 2017 में 30 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया।आगे, पट्टा किराया पट्टा गृहिता द्वारा 26 फरवरी 2018 को 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2018 तक की अवधि के लिए गलत सर्किल दर पर भुगतान किया गया (अर्थात् कृषि भूमि के अनुसार सर्किल दर की कृषि भूमि की दर लेकर अर्थात् ₹ 4,30,000 लाख प्रति हेक्टेयर बजाय अकृषि भूमि के)। इसके अतिरिक्त, उक्त भूमि का प्रीमियम भी पट्टा गृहिता द्वारा भुगतान नहीं किया गया।</p>	<p>भूमि के बाजार मूल्य से मूल्यांकन के लिए जिलाधिकारी से पत्राचार किया जा रहा है इसके पश्चात राशि की वसूली की जायेगी।</p>	<p>विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया।</p>	<p>प्रीमियम ₹1,84,72,19,152 पट्टा किराया @5% वास्तविक भुगतान योग्य: ₹46,18,04,790 भुगतान किया: ₹ 5,25,00,000 कम भुगतान: ₹40,93,04,790 ₹ 225,65,23,942</p>	<p>प्रीमियम {₹ 3,800 (50 से 200 मीटर दूरी तक अकृषि सर्किल दर प्रति वर्ग मीटर) x 16,04,164 वर्ग मीटर (वर्ग मीटर में भूमि का क्षेत्रफल) x 30 वर्ष (2014 से 2043)/99 (पट्टा के नवीनीकरण के लिए). पट्टा किराया ₹ 1,84,72,19,152 (प्रीमियम) x 5 प्रतिशत (अर्थात् ₹ 9,23, 60,958) x 5 वर्ष (2014 से 2018 तक).</p>
योग (iii)				₹ 2,25,65,23,942	

(4) निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून	1) चार एकड़ की वन भूमि (1.67 हेक्टेयर) श्री दूधधारी जी बर्फानी गौशाला ट्रस्ट भूपतवाला हरिद्वार को 10 वर्षों अर्थात् 1986 तक के लिए हस्तांतरित (सितंबर 1976) की गई। पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात, पट्टा गृहीता ने वन भूमि को गैर कानूनी तरीके से वर्तमान तिथि तक कब्जा बनाये रखा है। आगे, पट्टा गृहीता ने (जुलाई 2001) 17.833 हेक्टेयर और वन भूमि उसी स्थान पर देने का निवेदन किया एवं विभाग को प्रस्ताव दिया की इतनी भूमि का क्षेत्रफल ही अर्थात् 19.503 हेक्टेयर दूसरी जगह पर उपलब्ध कराया जाएगा। भारत सरकार ने पट्टा गृहीता के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। पट्टा गृहीता ने सर्वोच्च न्यायालय में वाद दायर की। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (अक्टूबर 2015) पर केंद्रीय शक्ति प्राप्त समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया (अप्रैल 2017) कि पट्टा गृहीता ने वन भूमि को अवैध तरीके से कब्जा किया और इसे यथा शीघ्र खाली कराया जाना चाहिए। वन विभाग ने पट्टा गृहीता को एक सप्ताह के अंदर वन भूमि खाली करने का नोटिस जारी किया (अगस्त 2017)। तथापि, पट्टा गृहीता द्वारा वन भूमि आतिथि तक खाली नहीं की गई है एवं विभाग द्वारा नोटिस जारी करने के बाद कोई कार्यवाही नहीं की गई है।	विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया	-----	प्रीमियम ₹ 91,76,566	प्रीमियम ₹ 1,70,00,000 x 1.67 हेक्टेयर x 32 वर्ष (04.09.1986 से 2018) /99.
	2) वन भूमि 4.23 एकड़ (1.71 हेक्टेयर) नगर पालिका परिषद हरिद्वार को 13.03.2008 तक 30 वर्षों के लिए रोपवे के निर्माण एवं संचालन के लिए हस्तांतरित की गई। आगे, पट्टा गृहीता ने निवेदन किया ⁴ (अक्टूबर 2010) के पट्टा 30 वर्षों के लिए नवीनीकृत कर दी जाए। तथापि, विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। ठेकेदार, जो रोपवे संचालित कर रहा था, ने उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में वाद दायर की। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया (अगस्त 2012) कि न्याय हित में यह उचित होगा कि प्रमुख सचिव, वन विभाग सभी पक्षों को सुनने के पश्चात यह निर्णय लें कि क्या नगर पालिका परिषद को दी गई पट्टा याचिकाकर्ता के पक्ष में बढ़ाई जा सकती है अथवा नहीं। आगे यह भी आदेश दिया गया कि मामले में प्रमुख सचिव द्वारा निर्णय जितनी जल्दी लिया जा सके लिया जाए। जब तक प्रमुख सचिव द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता था, सभी पक्षों को रोपवे संचालन के विषय में यथास्थिति बनाए रखनी थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इस विषय में निर्णय प्रमुख सचिव स्तर पर लेखापरीक्षा तिथि तक लंबित था। निर्णय को लंबित रखने में विलम्ब के कारण विभाग आतिथि तक प्रीमियम एवं पट्टा किराया से महरूम रह गया।	विभाग ने कहा कि पट्टा गृहीता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि निर्णय शासन स्तर पर लंबित था।	-----	प्रीमियम ₹ 1,69,10,000	प्रीमियम ₹ 8,900 (प्रीमियम) x 1.71 हेक्टेयर x 10,000 x 11 वर्ष/99.
			योग (iv)	₹ 3,83,23,578	
योग चार प्रभाग	योग 08 मामले	महा योग (i + ii + iii + iv))			₹ 4,17,95,16,677 (अर्थात् ₹ 417.95 करोड़)

⁴ विभाग के अनुसार, लीज 13.03.2008 को समाप्त हुई, तथापि, पट्टा गृहीता के अनुसार, लीज 2011 में समाप्त होनी थी।

परिशिष्ट-2.2.9

(संदर्भ: प्रस्तर 2.2.11; पृष्ठ संख्या 167)

संभावित राजस्व के हस्तांतरित न किए जाने का विवरण

क्रम संख्या	इकाई का नाम	निजी भूमि में पातन की जमानत (₹ में)	लीसा ठेकेदारों की जमानत (₹ में)	वन जमा (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रभागीय वनाधिकारी तराई केंद्रीय वन प्रभागहल्द्वानी	7,88,200.00	0.00	1,54,154.00
2.	प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभागहल्द्वानी	1,84,400.00	0.00	92,18,536.00
3.	प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षक वन प्रभागकालसी	11,03,550.00	0.00	21,63,473.00
4.	प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभागनैनीताल	80,400.00	17,82,263.00	27,50,112.00
5.	प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभागरामनगर	67,950.00	0.00	1,11,50,895.00
6.	प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभागटिहरी	34,400.00	1,62,500.00	0.00
7.	प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभागरामनगर	3,294,20.00	0.00	46,76,330.00
8.	प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभागपिथौरागढ़	3,19,950.00	12,000.00	0.00
9.	प्रभागीय वनाधिकारी बद्दीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर	0.00	5,74,783.00	0.00
10.	प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभागदेहरादून	1,91,600.00	0.00	2,67,60,526.00
11.	निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व देहरादून	0.00	0.00	39,88,000
	योग	30,99,870.00	25,31,546.00	6,08,62,026.00
	महा योगस्तम्भ (3+4+5)	6,64,80,442.00		

स्रोत: विभाग से एकत्रित सूचना।

परिशिष्ट-2.2.10

(संदर्भ: प्रस्तर 2.2.16; पृष्ठ संख्या 170)

संभावित प्राप्तियों के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियाँ

(धनराशि करोड़ ₹ में)

प्रस्तर संख्या एवं शीर्षक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	योग
2.2.8.1: कार्य योजनाओं के विलंब से प्रस्तुति एवं अनुमोदित होने के कारण राजस्व की प्राप्ति न होना	0.000	0.000	4.200	71.170	0.000	75.370
2.2.8.2: साल वनों में वितान न खोलने के कारण राजस्व की प्राप्ति न होना	86.116	85.659	78.769	22.916	56.663	330.123
2.2.8.3: चिह्नित किए जाने के अभाव में वृक्षों का पातन न होने के कारण रॉयल्टी की प्राप्ति न होना	2.950	3.990	0.000	16.680	4.280	27.900
2.2.8.4: उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वृक्षों का पातन न किए जाने के कारण रॉयल्टी प्राप्त न होना	0.000	0.000	0.000	0.000	14.280	14.280
2.2.8.5: रॉयल्टी के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण क्षति	5.300	7.640	9.130	3.200	5.920	31.190
2.2.8.6: जड़ों एवं जलौनी से रॉयल्टी की प्राप्ति न होना	0.030	0.030	0.030	0.020	0.003	0.113
2.2.8.8: आयतन की गलत गणना के कारण रॉयल्टी की क्षति	0.000	0.000	0.270	0.471	0.270	1.011
2.2.8.9: सिविल वनों की प्रकाष्ठ पर राजस्व की क्षति	0.000	0.000	0.073	0.000	0.000	0.073
2.2.8.11: विकास कार्यों के दौरान पातित वृक्षों की रॉयल्टी का अवरोधन	0.000	0.000	0.000	2.640	4.470	7.110
2.2.8.12: अवैध पातन के कारण क्षति	0.180	0.110	0.080	0.080	0.120	0.570
2.2.9.1: कम उत्पादन के कारण राजस्व की क्षति	0.000	1.270	0.430	0.120	0.570	2.390
2.2.9.2: नई कार्य योजना में योग्य चीड़ वृक्षों को सम्मिलित न किए जाने से क्षति	0.000	0.000	0.000	0.000	2.470	2.470
2.2.10.1: खनन सब के कम होने के कारण क्षति	3.599	6.109	14.024	8.198	21.219	53.149
2.2.10.2: लोक मांग में कमी/ निरस्त किया जाना	0.000	0.000	0.000	1.960	6.050	8.010
2.2.10.3: अभिवहन शुल्क का कम आरोपण	0.000	0.000	0.000	0.000	0.722	0.722
2.2.10.4: प्रीमियम एवं पट्टा किराया प्राप्त न होना	1.915	1.995	1.915	2.030	227.567	235.422
2.2.11: महत्वपूर्ण राजस्व का स्थानांतरण न किया जाना	0.00	0.00	0.00	0.000	6.650	6.650
2.2.12: लोक लेखा में राजस्व का अवरोधन	2.890	0.390	0.310	2.830	0.190	6.610
परित्यक्त प्राप्तियाँ	102.980	107.193	109.231	132.315	351.444	803.163
वास्तविक प्राप्तियाँ	245.550	241.230	243.600	208.740	226.710	1,165.830
संभावित प्राप्तियाँ	348.530	348.423	352.831	341.055	578.154	1,968.993

परिशिष्ट-2.3.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3; पृष्ठ 172 एवं 173)

चार व्यापारियों के पाँच प्रकरणों में कर के न्यूनारोपण का विवरण

इकाई का नाम	व्यापारी का टिन	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण की दिनांक	वस्तु का नाम	वस्तु का मूल्य (धनराशि ₹ में)	अंतरीय कर का प्रतिशत	देय कर (धनराशि ₹ में)	अदा कर (धनराशि ₹ में)	कर का न्यूनारोपण (धनराशि ₹ में)	टिप्पणी
सहा आयुक्त (क नि) खण्ड VII राज्य कर देहरादून	05011165986	(1) 2013-14	11.08.2016	टायर रिट्रीडिंग मेटेरियल	45,68,198	8.5 (13.5-5)	6,16,706.73	2,28,409	3,88,297.73	अवर्गीकृत वस्तुएं जो अनुसूची 2 (ख) में विनिर्दिष्ट नहीं हैं
		(2) 2014-15	11.08.2016	टायर रिट्रीडिंग मेटेरियल	46,11,232	8.5 (13.5-5)	6,22,516.32	2,30,561	3,91,955.32	
	05013114716	(3) 2013-14	22.03.2017	प्लास्टिक स्क्रैप	2,47,502	8.5 (13.5-5)	33,412.77	12,375.10	21,037.67	
उपायुक्त (क नि) खण्ड IV राज्य कर रुड़की	05007468831	(4) 2012-13	23.01.2016	रिट्रीडिंग रबर	8,35,755	9 (13.5-4.5)	1,12,826.92	37,609.00	75,217.92	
					1,26,12,845	8.5 (13.5-5)	17,02,734	6,30,642.00	10,72,092	
सहा आयुक्त (क नि) खण्ड IV राज्य कर रुड़की	05009153139	(5) 2013-14	14.02.2017	प्लास्टिक स्क्रैप	78,07,639	8.5 (13.5-5)	10,54,031	3,90,382	6,63,649 नोटिस जारी	
योग									26,12,249.64 (अर्थात ₹ 26.12 लाख)	

परिशिष्ट-2.6.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.6; पृष्ठ 177)

अनुज्ञापियों पर प्रशमन शुल्क के न्यूनारोपण का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र सं	अनुज्ञापी का नाम	अनुज्ञापन का प्रकार	उल्लंघन का दिनांक	4 या 4 से अधिक बार उल्लंघन	देय प्रशमन शुल्क की धनराशि (कॉलम 7 का 3%) 6	प्रतिभूति जमा की प्रथम किस्त	प्रतिभूति जमा की द्वितीय किस्त	कुल अग्रिम जमा प्रतिभूति	प्रत्येक अग्रिम जमा प्रतिभूति पर 3% की दर से प्रशमन शुल्क (3 % of कॉलम 9) 10	प्रशमन शुल्क की कम जमा धनराशि (10-6) 11
1	श्रीमती अनीता सक्सेना अनुज्ञापी विदेशी मदिरा पटेलनगर	एफ एल-5 डी	15.05.16	04 बार	1,50,319	50,10,626	50,10,626	1,00,21,252	3,00,638	1,50,319
			21.05.16	05 बार	1,50,319				3,00,638	1,50,319
			12.07.16	06 बार	1,50,319				3,00,638	1,50,319
2	श्री प्रदीप विष्ट अनुज्ञापी विदेशी मदिरा आई एस बी टी देहरादून	एफ एल-5 डी	21.05.16	04 बार	50,178	16,72,585	16,72,585	33,45,170	1,00,355	50,177
			12.07.16	05 बार	50,178				1,00,355	50,177
			19.07.16	06 बार	50,178				1,00,355	50,177
			03.08.16	07 बार	50,178				1,00,355	50,177
3	श्री संदीप भण्डारी अनुज्ञापी विदेशी मदिरा रानीपोखरी	एफ एल-5 डी	12.08.16	04 बार	1,24,071	41,35,691	41,35,691	82,71,382	2,48,141	1,24,070
			14.09.16	05 बार	1,24,071				2,48,141	1,24,070
			30.11.16	06 बार	1,24,071				2,48,141	1,24,070
4	श्री सत्य प्रकाश करनवाल अनुज्ञापी विदेशी मदिरा राजपुर रोड-2	एफ एल-5 डी	21.05.16	04 बार	1,19,060	39,68,659	39,68,659	79,37,318	2,38,120	1,19,060
5	श्रीमती अनीता पोखरियाल अनुज्ञापी देशी मदिरा पटेलनगर	सी एल-5 सी	25.05.16	04 बार	1,76,064	58,68,786	58,68,786	1,17,37,572	3,52,127	1,76,063
			04.08.16	05 बार	1,76,064				3,52,127	1,76,063
			26.08.16	06 बार	1,76,064				3,52,127	1,76,063
			27.08.16	07 बार	1,76,064				3,52,127	1,76,063
6	श्रीमती पुष्पा पाठक अनुज्ञापी विदेशी मदिरा मोहकमपुर	सी एल-5 सी	16.10.16	04 बार	89,120	29,70,674	29,70,674	59,41,348	1,78,240	89,120
7	श्रीमती लीलावती भट्ट अनुज्ञापी विदेशी मदिरा चकराता	एफ एल-5 डी	05.12.16	04 बार	13,376	4,45,865	4,45,865	8,91,730	26,752	13,376
योग					19,49,692	2,40,72,886	2,40,72,886	4,81,45,772	38,99,378	19,49,686

परिशिष्ट-2.8.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.8; पृष्ठ 180, 181)

स्टोन क्रशर मालिकों से विनियमितीकरण शुल्क ₹ 1.21 करोड़ एवं वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ₹ 0.65 करोड़ की वसूली न किए जाने का विवरण

क्र सं	इकाई का नाम	स्टोन क्रशर मालिक का नाम	स्टोन क्रशर की क्षमता	स्टोन क्रशर की स्वीकृति अवधि	अधिसूचना दिनांक 19-11-2016 के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क (₹ लाख में)	जमा आवेदन शुल्क (₹ लाख में)	देय विनियमितीकरण शुल्क (निर्धारित आवेदन शुल्क - जमा शुल्क)* 50% (₹ लाख में)	देय नवीनीकरण शुल्क (अधिसूचना दिनांक 19-11-2016 के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का 25%) (₹ लाख में)
(अ)	जिला खान अधिकारी हरिद्वार	1. सर्वश्री इंडिया स्टोन क्रशर, दौलतपुर हज रतपुर उ र एफ बुधवाशहीद	25 टन प्रति घंटा	24.10.2013 से 23.10.2018	10.00	0.50	4.75	2.50
		2. सर्वश्री नवाज स्टोन क्रशर, बुधवाशहीद	25 टन प्रति घंटा	19.12.2013 से 18.12.2018	10.00	0	5.00	2.50
		3. सर्वश्री देव भूमि स्टोन क्रशर, बंजारेवाला	25 टन प्रति घंटा	03.09.2014 से 02.09.2019	10.00	0.50	4.75	2.50
		4. सर्वश्री लक्ष्मी स्टोन क्रशर, गाँव-बंजारेवाला	25 टन प्रति घंटा	02.12.2014 से 01.12.2019	10.00	0.50	4.75	2.50
		5. सर्वश्री हरिद्वार ग्रिट स्टोन क्रशर, शहीदवाला ग्रांट	25 टन प्रति घंटा	04.09.2015 से 03.09.2020	10.00	0	5.00	2.50
		6. सर्वश्री श्री बालाजी स्टोन क्रशर, भोगपुर	25 टन प्रति घंटा	27.05.2014 से 26.05.2019	10.00	0	5.00	2.50
		7. सर्वश्री एंडवर स्टोन क्रशर, साजनपुर पीली	50 टन प्रति घंटा	05.07.2013 से 04.07.2018	10.00	0	5.00	2.50
		8. सर्वश्री जी स्टोन क्रशर, भोगपुर	40 टन प्रति घंटा	21.12.2013 से 20.12.2018	10.00	0.50	4.75	2.50
		9. सर्वश्री श्री लक्ष्मी नारायण स्टोन क्रशर, शाहपुर-शीतलाखेड़ा	50 टन प्रति घंटा	18.11.2013 से 17.11.2018	10.00	0	5.00	2.50
		10. सर्वश्री बट्टी विशाल स्टोन क्रशर द्वारा श्री अमित भारद्वाज	20 टन प्रति घंटा	24.02.2014 से 23.02.2019	10.00	0.50	4.75	2.50
		11. सर्वश्री नटराज स्टोन इंडस्ट्रीज़ विशनपुर	30 टन प्रति घंटा	22.05.2015 से 21.05.2020	10.00	0.50	4.75	2.50
		12. सर्वश्री तेजस स्टोन क्रशर, भोगपुर	40 टन प्रति घंटा	15.06.2014 से 14.06.2019	10.00	0.50	4.75	2.50

		13.	सर्वश्री सेंचुरी पार्क स्टोन क्रशर, भोगपुर तहसील व जिला हरिद्वार	83 टन प्रति घंटा	10.07.2015 से 09.07.2020	10.00	0.50	4.75	2.50
		14.	सर्वश्री एस आर स्टोन क्रशर, विशनपुर झरदा	100 टन प्रति घंटा	19.05.2015 से 18.05.2020	10.00	0	5.00	2.50
		15.	सर्वश्री कुमार स्टोन क्रशर, हरदेव पुर सहदेवपुर उ आर एफ रानी माजरा	200 टन प्रति घंटा	31.07.2015 से 30.07.2020	12.00	0.50	5.75	3.00
		16.	सर्वश्री श्री साई स्टोन इंडस्ट्रीज, कतरपुर	30 टन प्रति घंटा	28.07.2015 से 27.07.2020	10.00	0.50	4.75	2.50
		17.	सर्वश्री माँ गंगा स्टोन क्रशर, वाडीटीप	20 टन प्रति घंटा	26.10.2015 से 25.10.2020	10.00	10.00	0	2.50
		18.	सर्वश्री श्री राम स्टोन क्रशर(इंडिया), शाहपुर शीतलखेड़ा	40 टन प्रति घंटा	31.07.2015 से 30.07.2020	10.00	0.50	4.75	2.50
		19.	सर्वश्री सिद्धि विनायक माइन एंड मिनरल, भोगपुर	120 टन प्रति घंटा	04.09.2015 से 03.09.2020	12.00	0.50	5.75	3.00
		20.	सर्वश्री महालक्ष्मी स्टोन क्रशर, भोगपुर	200 टन प्रति घंटा	28.07.2015 से 27.07.2020	12.00	0	6.00	3.00
		21.	सर्वश्री आर के त्यागी एंड कंपनी, भोगपुर	200 टन प्रति घंटा	30.07.2015 से 29.07.2020	12.00	0	6.00	3.00
		22.	सर्वश्री ओम साई राम इंडस्ट्रीज गाँव - रानी माजरा लक्सर रोड	15 टन प्रति घंटा	05.09.2014 से 04.09.2019	10.00	0	5.00	2.50
(ब)	जिला खान अधिकारी देहरादून	23.	सर्वश्री ग्रामीण इंडिया लिमिटेड, कालसी	600 टन प्रति दिन (25 टन प्रति घंटा)	11.06.2015 से 10.06.2018	5.00	2.50	1.25 वसूला गया	1.25 वसूला गया
(स)	जिला खान अधिकारी नैनीताल, हल्द्वानी	24.	सर्वश्री महाकाली स्टोन क्रशर	2,500 टन प्रति दिन (104.17 टन प्रति घंटा)	29.07.2005 से वर्तमान तक	12.00	0	6.00 वसूला गया	3.00 वसूला गया
		25.	सर्वश्री महालक्ष्मी स्टोन क्रशर	1,200 टन प्रति दिन (50 टन प्रति घंटा)	17.03.2007 से वर्तमान तक	10.00	0	5.00 वसूला गया	2.50 वसूला गया
(द)	जिला खान अधिकारी पौड़ी	26.	प्रदीप तिवाड़ी पुत्र रमेश चन्द्र तिवाड़ी गाँव धनुआ लगगा	200 टन प्रति दिन (8.33 टन प्रति घंटा)	31.07.2015 से 30.07.2018	5.00	0.50	2.25	1.25
योग								120.50	65.00

टिप्पणी-1: जहां ऑडिट के लिए चालान की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई थीं, आवेदन शुल्क की राशि शून्य के रूप में ली गई थी।

टिप्पणी-2: विभाग के उत्तर के अनुसार, क्रम संख्या 24 और 25 पर अंकित स्टोन क्रशर के मालिको द्वारा आवेदन शुल्क जमा नहीं किया था। इसलिए आवेदन शुल्क का कालम खाली रखा गया है।

परिशिष्ट-2.9.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.9; पृष्ठ 182)

दो जिला खान अधिकारियों द्वारा छः मामलों में रायल्टी की गलत गणना का विवरण

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	पट्टा धारक का नाम / लाइसेंस (सर्व शी)	लाइसेंस स्वीकृत करने का दिनांक	लागू कार्यालय जापन / अधिसूचना की तारीख	उप खनिज का प्रकार	उपखनिज/मिट्टी की मात्रा (टन/घन मीटर में)	दर प्रति टन / घन मीटर (₹ में)	देय रायल्टी (₹ में)	जमा रायल्टी (₹ में)	अंतर (₹ में)
	अ	ब	स	द	त	थ	घ	न (थ+घ)	प	फ
1.	जिला खान अधिकारी, देहरादून	राज पल अहलवालिया 48-ब, रेस कोर्स देहरादून	11.04.2016	26.02.2016	मिट्टी	26,015 टन (11,825 घन मीटर *2.2)	50 प्रति टन	13,00,750 (26,015*50 प्रति टन)	94,600 (11,825*₹ 8 प्रति घन मीटर)	12,06,150
2.		सुपर टेक लिमिटेड, 11/9 आशीर्वाद इनक्लेव, देहरादून	12.05.2016	26.02.2016	मिट्टी	22,957 टन (10,435 घन मीटर *2.2)	50 प्रति टन	11,47,850 (22,957*50 प्रति टन)	83,480 (10,435*₹ 8 प्रति घन मीटर)	10,64,370
3.		अशोक राणा, 35 धामावाला, देहरादून	03.05.2016	26.02.2016	मिट्टी	4,400 टन (2,000 घन मीटर *2.2)	50 प्रति टन	2,20,000 (4,400*50 प्रति टन)	16,000 (2,000*₹ 8 प्रति घन मीटर)	2,04,000
योग (अ)								26,68,600	1,94,080	24,74,520
4.	जिला खान अधिकारी, नैनीताल	गुरप्रीत सिंह पुत्र स्व. दयाल सिंह, गाँव-पट्टापनी कालाडुंगी, नैनीताल	08.09.2016	26.02.2016	रेता, बजरी और बोल्टर (रिवर बेड से अलग स्थान पर)	2,816 घन मीटर	194.50 प्रति घन मीटर	5,47,712 (2,816*194.50 प्रति घन मीटर)	4,33,664 (2,816*₹154 प्रति घन मीटर)	1,14,048
5.		देशराज पुत्र गुरुदीप्ता गाँव सेमलचौड़, कालाडुंगी, नैनीताल	15.09.2016	26.02.2016	रेता, बजरी और बोल्टर (रिवर बेड से अलग स्थान पर)	12,903 घन मीटर	194.50 प्रति घन मीटर	25,09,634 (12,903*194.50 प्रति घन मीटर)	19,87,062 (12,903*₹154 प्रति घन मीटर)	5,22,572
6.		राजेंद्र कुमार दास, गाँव सेमलचौड़, कालाडुंगी, नैनीताल	08.11.2016	26.02.2016 और 30.09.2016	रेता, बजरी और बोल्टर (रिवर बेड से अलग स्थान पर)	4,020 घन मीटर	194.50 प्रति घन मीटर	7,81,890 (4,020*194.50 प्रति घन मीटर)	6,19,080 (4,020*₹154 प्रति घन मीटर)	1,62,810
योग (ब)								38,39,236	30,39,806	7,99,430
योग (अ) + (ब)								65,07,836	32,33,886	32,73,950 अर्थात् ₹ 32.74 लाख

टिप्पणी : 01 घन मीटर = 2.2 टन।

परिशिष्ट-2.10.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.10; पृष्ठ 183)

रिवर ट्रेनिंग, विकास शुल्क और क्षतिपूर्ति शुल्क की गणना दर्शाने वाला विवरण

क्र सं	निजी पट्टे धारक का नाम	लीज विलेख के पंजीकरण का दिनांक	लीज की अवधि (वर्ष में)	मासिक रायल्टी (₹ में)	माह / तिमाही	जमा की गयी रायल्टी (₹ में)	रायल्टी जमा करने का दिनांक	रिवर ट्रेनिंग (रायल्टी का 15%) 31.07.2015 से लागू (₹ में)	विकास शुल्क (रायल्टी का 10%) 31.07.2015 से लागू (₹ में)	क्षतिपूर्ति (रायल्टी का 15%) 10.10.2016 से लागू (₹ में)
1.	श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री भदौ सिंह गाँव/तहसील-चिनयाली सौड़ उत्तरकाशी	29.01.2015	5	3,89,975	अक्टूबर-15	3,89,975	20.10.2015	58,496.25	38,997.50	0
					जनवरी-16	3,89,975	15.02.2016	58,496.25	38,997.50	0
					फरवरी-16	3,89,975	03.03.2016	58,496.25	38,997.50	0
					मार्च-16	3,89,975	14.03.2016	58,496.25	38,997.50	0
					अप्रैल-16	3,89,975	21.03.2016	58,496.25	38,997.50	0
					मई-16	3,89,975	03.05.2016	58,496.25	38,997.50	0
					जून-16	3,89,975	18.05.2016	58,496.25	38,997.50	0
					फरवरी-17	3,89,975	17.02.2017	58,496.25	38,997.50	58,496.00
	मार्च-17	3,89,975	03.03.2017	58,496.25	38,997.50	58,496.00				
2.	श्री जगवीर सिंह भण्डारी पुत्र श्री कौशल सिंह गाँव/पोस्ट-पोनती बड़कोट, उत्तरकाशी	22.10.2016	5	88,122	नवम्बर-16 और दिसम्बर-16	1,40,995 ⁵	06.03.2017	पट्टा धारक द्वारा रायल्टी सहित जमा किया गया।		21,149.00
3.	श्री विनोद डोभाल पुत्र श्री नन्धी लाल गाँव-चकर गाँव बड़कोट, उत्तरकाशी	16.06.2015	3 वर्ष अथवा 30.09.16 जो भी पहले हो	1,35,000	अक्टूबर-15	1,35,000	20.10.2015	20,250.00	13,500.00	0
					नवम्बर-15	1,35,000	23.11.2015	20,250.00	13,500.00	0
					दिसम्बर-15 से अप्रैल-16	6,75,000	10.06.2016	1,01,250.00	67,500.00	0
4.	श्री मोहन लाल रावत पुत्र श्री जय सिंह, गाँव मकुडी तहसील मोरी उत्तरकाशी	16.06.2015	3 वर्ष अथवा 30.09.16 जो भी पहले हो	1,38,889	अक्टूबर-15	1,38,889	29.01.2016	20,833.35	13,888.90	0
					नवम्बर-15	1,38,889	29.01.2016	20,833.35	13,888.90	0
					दिसम्बर-15	1,38,889	31.03.2016	20,833.35	13,888.90	0
					जनवरी-16	1,38,889	31.03.2016	20,833.35	13,888.90	0
					फरवरी-16	1,38,889	17.05.2016	20,833.35	13,888.90	0
					मार्च-16	1,38,889	17.05.2016	20,833.35	13,888.90	0
अप्रैल -16	1,38,889	30.06.2016	20,833.35	13,888.90	0					

⁵ ₹ 88,122*2= ₹ 1, 76,244 (यह रिवर ट्रेनिंग और विकास शुल्क सहित)।

इसलिए, रायल्टी का 125 प्रतिशत (रिवर ट्रेनिंग और विकास शुल्क के बिना) = ₹ 1,76,244।

रायल्टी= (₹ 1, 76,244*100)/125 = ₹ 1, 40,995।

5.	श्री दिनराज बिष्ट पुत्र स्व. श्री बिरेन्द्र सिंह, गाँव-मंगलीसेरा तहसील डूँडा उत्तरकाशी	15.06.2015	3 वर्ष अथवा 30.09.16 जो भी पहले हो	35,625	अक्तूबर -15	35,625	20.10.2015	5,343.75	3,562.50	0
					नवम्बर -15	35,625	19.11.2015	5,343.75	3,562.50	0
					दिसम्बर -15	35,625	19.12.2015	5,343.75	3,562.50	0
					जनवरी -16	35,625	18.01.2016	5,343.75	3,562.50	0
					फरवरी -16	35,625	20.02.2016	5,343.75	3,562.50	0
					मार्च -16	35,625	29.03.2016	5,343.75	3,562.50	0
					अप्रैल-16	35,625	04.05.2016	5,343.75	3,562.50	0
					मई-16	35,625	26.05.2016	5,343.75	3,562.50	0
6.	श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री पाल सिंह गाँव-नगड़ी बाड़ी चिनयाली सौंड उत्तरकाशी	28.10.2015	5	1,36,445	नवम्बर -15	1,36,445	10.06.2016	20,466.75	13,644.50	0
7.	श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री केशर सिंह एवं श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री हुकुम सिंह, गाँव-हदियादी, उत्तरकाशी	24.05.2014	5	76,317	दिसम्बर -15	1,36,445	22.12.2015	20,466.75	13,644.50	0
					जनवरी -16	1,36,445	11.01.2016	20,466.75	13,644.50	0
					फरवरी -16	1,36,445	18.02.2016	20,466.75	13,644.50	0
					मार्च -16	1,36,445	18.03.2016	20,466.75	13,644.50	0
					अप्रैल -16	1,36,445	22.04.2016	20,466.75	13,644.50	0
					मई -16	1,36,445	18.05.2016	20,466.75	13,644.50	0
					जून-16	1,36,445	16.06.2016	20,466.75	13,644.50	0
					नवंबर 2015 से जून 2016 के दौरान अतिरिक्त निकासी की रॉयल्टी	2,91,900	10.01.2017	43,785.00	29,190.00	0
		जनवरी -17	2,00,000	11.01.2017	30,000.00	20,000.00	30,000.00			
		जनवरी -17	2,00,000	31.01.2017	30,000.00	20,000.00	30,000.00			
		फरवरी -17	1,40,000	20.02.2017	21,000.00	14,000.00	21,000.00			
24.05.2014	5	76,317	अक्तूबर -15	76,317	12.10.2015	11,447.55	7,631.70	0		
			दिसम्बर -15	76,317	19.12.2015	11,447.55	7,631.70	0		
			जनवरी -16	76,317	19.01.2016	11,447.55	7,631.70	0		
			फरवरी -16	76,317	15.02.2016	11,447.55	7,631.70	0		
			मार्च -16	76,317	02.03.2016	11,447.55	7,631.70	0		
अप्रैल -16	76,317	19.04.2016	11,447.55	7,631.70	0					

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामाजिक, सामान्य, राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र)

					मई -16	76,317	02.05.2016	11,447.55	7,631.70	0
					जून -16	76,317	15.06.2016	11,447.55	7,631.70	0
					अक्टूबर -16	76,317	13.10.2016	11,447.55	7,631.70	0
					नवम्बर -16	76,317	21.11.2016	11,447.55	7,631.70	11,448.00
					दिसम्बर-16	76,317	13.12.2016	11,447.55	7,631.70	11,448.00
					जनवरी-17	76,317	20.01.2017	11,447.55	7,631.70	11,448.00
					फरवरी 17-मार्च 17	1,52,634	20.02.2017	22,895.10	15,263.40	22,895.00
8.	श्री अजय डबराल पुत्र श्री डी एल डबराल , सुंदरवाला रायपुर देहारादून	07.12.15	5	17,57,825 (प्रथम वर्ष के लिए) और 21,97,281 (द्वितीय वर्ष के लिए)	दिसम्बर -15	17,57,825	16.04.2016	2,63,673.75	1,75,782.50	0
					मार्च -16	17,57,825	16.04.2016	2,63,673.75	1,75,782.50	0
					जुलाई-16	23,50,000	16.12.2016	3,52,500.00	2,35,000.00	0
					अक्टूबर-16	11,66,000	31.12.2016	1,74,900.00	1,16,600.00	0
					दिसम्बर-16	21,97,281	चालान उपलब्ध नहीं	3,29,592.15	2,19,728.10	3,29,592.00
					मार्च-17	21,97,281	26.10.2017	3,29,592.15	2,19,728.10	3,29,592.00
योग								30,19,516.00	20,13,011.00	9,35,564.00
महायोग								59,68,091.00		

परिशिष्ट-3.2.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.2.1.8; पृष्ठ 195 एवं प्रस्तर 3.2.1.9; पृष्ठ 196)

नवीनतम वर्ष के लिए ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय परिणामों का सारांश जिसके लिए लेखों को अंतिम रूप दिया गया

क्र सं	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधि और नाम	खातों की अवधि	ब्याज और कर से पहले निवल लाभ / हानि	ब्याज और कर के बाद निवल लाभ / हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य*	संचित लाभ / हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ.	उत्पादन								
1.	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड	2017-18	175.76	63.73	734.50	1,167.86	3,109.32	1,738.42	570.56
2.	किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अभी तक प्रारंभिक खाते नहीं मिले हैं							
ब.	प्रसारण								
1.	पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2017-18	72.53	28.89	265.10	473.88	1162.59	607.67	133.79
स.	वितरण								
1.	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	-36.36	-229.22	5,781.31	1,306.03	172.73	-1,262.69	-2,568.72
कुल योग			211.93	(-136.60)	6,780.91	2,947.77	4,444.64	1,083.40	-1,864.37

* निवल मूल्य पूँजी-मुक्त पूँजी और मुफ्त कोष और अधिशेष माइनस संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय का कुल योग है।

नोट 1: ब्याज और कर के बाद निवल लाभ / हानि, भारतीय लेखा मानदण्ड के अन्य व्यापक आय के रूप में विचार के बिना हैं, ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के अनुरूप।

नोट 2: किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड 16 जनवरी 2017 को शामिल किया गया था और इसने 31 मार्च 2018 तक किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों की शुरुआत नहीं की थी।

परिशिष्ट-3.2.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.2.1.10; पृष्ठ 198)

स्थापना के बाद से 31 मार्च 2018 तक चार ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	यू जे वी एन एल			पिटकुल			यू पी सी एल			किशाऊ निगम लिमिटेड			कुल		
	इक्विटी	ब्याज मुक्त ऋण	ब्याज मुक्त ऋण इक्विटी में परिवर्तित	इक्विटी	ब्याज मुक्त ऋण	ब्याज मुक्त ऋण इक्विटी में परिवर्तित	इक्विटी	ब्याज मुक्त ऋण	ब्याज मुक्त ऋण इक्विटी में परिवर्तित	इक्विटी	ब्याज मुक्त ऋण	ब्याज मुक्त ऋण इक्विटी में परिवर्तित	इक्विटी	ब्याज मुक्त ऋण	ब्याज मुक्त ऋण इक्विटी में परिवर्तित
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	139.36	0.00	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.66	0.00	0.00
2005-06	227.78	0.00	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.64	0.00	0.00
2006-07	97.42	0.00	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.98	0.00	0.00
2007-08	190.25	0.00	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.20	0.00	0.00
2008-09	52.33	0.00	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.03	0.00	0.00
2009-10	73.07	0.00	0.00	49.81	0.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.88	0.00	0.00
2010-11	16.59	0.00	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.71	0.00	0.00
2011-12	3.67	0.00	0.00	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.78	0.00	0.00
2012-13	68.11	0.00	0.00	56.33	0.00	0.00	391.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.35	0.00	0.00
2013-14	202.21	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.80	0.00	0.00
2014-15	8.10	0.00	0.00	95.15	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.25	0.00	0.00
2015-16	21.80	0.00	0.00	25.56	0.00	0.00	161.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.49	0.00	0.00
2016-17	47.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	130.01	0.00	0.00
2017-18	15.17	0.00	0.00	15.83	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00
योग	1,167.86	0.00	0.00	473.88	0.00	0.00	1,306.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	2,947.78	0.00	0.00

नोट: किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड 16 जनवरी 2017 को शामिल किया गया था और इसने 31 मार्च 2018 तक किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों की शुरुआत नहीं की थी। किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रदत्त पूँजी ₹ 0.01 लाख थी और जो ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की कुल इक्विटी में शामिल नहीं थी।

परिशिष्ट-3.3.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.3.1.3; पृष्ठ 212 एवं प्रस्तर 3.3.1.25; पृष्ठ 229)

31 मार्च 2018 तक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रं सं	क्षेत्र / कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का महीना और वर्ष	इक्विटी				वर्ष 2017-18 के अंत में दीर्घावधि ऋण बकाया			
				जी ओ यू	भारत सरकार	अन्य	योग	जी ओ यू	भारत सरकार	अन्य	योग
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
अ सामाजिक क्षेत्र											
I- कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ											
1.	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एव विकास निगम लिमिटेड	सामाजिक कल्याण	अक्टूबर 2001	16.44	5.99	0	22.43	0	0	0	0
2.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	विविध (सार्वजनिक कल्याण)	मार्च 2004	1.00	0	0	1.00	0	0	0	0
3.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम (आरंभिक खाते नहीं मिले)	अल्पसंख्यक (वित्त) के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास	जनवरी 2005	7.05	0	0	7.05	0	0	0	0
योग अ-I				24.49	5.99	0	30.48	0	0	0	0
II- अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ											
1.	गढ़वाल अनुसूचित जनजति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी)	अल्पसंख्यक (वित्त) के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास	जून 1974	0.20	0	0.30	0.50	1.17	0.04	0	1.21
2.	कुमाऊँ अनुसूचित जनजति विकास निगम लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी)	अल्पसंख्यक (वित्त) के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास	जून 1975	0.22	0	0.28	0.50	0	0	0	0
योग अ-II				0.42	0	0.58	1.000	1.17	0.04	0	1.21
योग अ (I+II)				24.91	5.99	0.58	31.48	1.17	0.04	0	1.21

ब. प्रतिस्पर्धी पर्यावरण क्षेत्र											
I कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ											
1.	उत्तराखण्ड सीड एवं तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।	कृषि	फरवरी 1969	1.20	0.84	2.04	4.08	12.50	0	0	12.50
2.	स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	विविध (औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास)	जुलाई 2002	26.00	0	2.50	28.50	0	0	196.15	196.15
3.	पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड जिसे पहले उत्तराखण्ड राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।	विविध (औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास)	मार्च 2008	4.00	0	0	4.00	5.00	0	0	5.00
4.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	चीनी और गन्ना	दिसम्बर 2001	6.00	0	0	6.00	127.99	10.81	3.15	141.95
5.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	चीनी और गन्ना	फरवरी 1972	17.54	0	0.45	17.99	116.32	0	9.65	125.97
6.	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	सिंचाई	दिसम्बर 2010	1.07	0	0	1.07	0	0	0	0
7.	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	मार्च 1971	13.42	0	0	13.42	0	0	0	0
8.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	मार्च 1976	6.64	0	0	6.64	47.22	0	0.23	47.45
9.	उत्तराखण्ड इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरंभिक खाते नहीं मिले)	पर्यटन	मार्च 2017	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0
योग ब-I				75.92	0.84	4.99	81.75	309.03	10.81	209.18	529.02
II वैधानिक निगम											
1.	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	विविध (पानी की आपूर्ति और सीवरेज)	नवम्बर 2002	697.22	2,354.32	0	3,051.54	21.01	0	54.45	75.46
2.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	ट्रांसपोर्ट	अक्टूबर 2003	229.36	9.24	0	238.6	1.93	0	73.42	75.35
योग ब-II				926.58	2,363.56	0	3,290.14	22.94	0	127.87	150.81
योग ब (I+II)				1002.5	2,364.40	4.99	3,371.89	331.97	10.81	337.05	679.83

स. अन्य											
I. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ											
1.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक्स	जून 1985	8.95	0	0	8.95	0	0	0	0
2.	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरंभिक खाते नहीं मिले)	शहरी विकास	मार्च 2017	0.10	0	0	0.10	0	0	0	0
3.	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड (आरंभिक खाते नहीं मिले)	शहरी विकास	सितम्बर 2017	0.10	0	0	0.10	0	0	0	0
योग स-I				9.15	0	0	9.15	0	0	0	0
II. अकार्यरत सरकारी कम्पनी											
1.	ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	इलेक्ट्रॉनिक्स	नवंबर 1973	0	0	1.63	1.63	2.75	0	0	2.75
2.	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	इलेक्ट्रॉनिक्स	मार्च 1978	0	0	0.35	0.35	1.40	18.52	0	19.92
3.	यू पी ए आई लिमिटेड	सिंचाई	अप्रैल 1977	0.17	0	0	0.17	0	0	0	0
4.	उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी) (उपलब्ध नहीं)	इलेक्ट्रॉनिक्स	जुलाई 1987	0	0	0.03	0.03	0	0	0	0
5.	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी) (उपलब्ध नहीं)	इलेक्ट्रॉनिक्स	जुलाई 1989	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	कुंमट्रोन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	इलेक्ट्रॉनिक्स	अप्रैल 1987	0	0	0.18	0.18	0	0	0	0
योग स -II				0.17	0	2.19	2.36	4.15	18.52	0	22.67
III वैधानिक निगम											
1.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	वन	मई 2001	0	0	0	0	0	0	0	0
योग स III				0	0	0	0	0	0	0	0
योग स(I+II+III)				9.32	0	2.19	11.51	4.15	18.52	0	22.67
महायोग (अ+ब+स)				1,036.73	2,370.39	7.76	3,414.88	337.29	29.37	337.05	703.71

परिशिष्ट-3.3.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.3.1.8; पृष्ठ 216)

कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में, जिस अवधि के लिए उनके लेखे बकाया हैं, राज्य सरकार के निवेश की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रं सं	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	अवधि जो खातों को अंतिम रूप दिया	अवधि जिसके लिए खाते बकाया हैं	नवीनतम खातों के अनुसार पूंजी का भुगतान किया गया	उस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश, जिसमें लेखे बकाया है		
					ऋण	ऋण	ऋण
अ- कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ							
1.	उत्तराखण्ड सीड एवं तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।	2015-16	2016-17 से 2017-18	4.08	-	-	-
2.	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एव विकास निगम लिमिटेड	2007-08	2008-09 से 2017-18	8.33	-	45.85	45.85
3.	स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2014-15	2015-16 से 2017-18	28.50	-	-	-
4.	पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड जिसे पहले उत्तराखण्ड राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।	2014-15	2015-16 से 2017-18	4.00	-	-	-
5.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	2014-15 से 2017-18	8.95	-	21.09	21.09
6.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2016-17	2017-18	17.99	-	26.22	26.22
7.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2016-17	2017-18	6.00	-	29.95	29.95
8.	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	1.07	-	-	-
9.	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2006-07 से 2017-18	13.42	9.81	-	9.81
10.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12 से 2017-18	6.10	-	-	-
11.	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-	2017-18	0.10	-	-	-
12.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	1.00	-	-	-
13.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	आरंभिक खाते नहीं मिले	-	-	7.05	36.25	43.30
14.	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरंभिक खाते नहीं मिले)	आरंभिक खाते नहीं मिले					
15.	उत्तराखण्ड इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	आरंभिक खाते नहीं मिले					
योग अ				99.54	16.86	159.36	176.22
ब- कार्यरत वैधानिक निगम							
1.	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2015-16	2016-17 से 2017-18	2,429.65	-	-	-
2.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2015-16	2016-17 से 2017-18	238.60	-	-	-
3.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2016-17	2017-18	-	-	-	-
योग ब				2,668.25	-	-	-
योग (अ + ब)				2,767.79	-	-	-

परिशिष्ट-3.3.3

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.3.1.12, 3.3.1.13 एवं 3.3.1.18; पृष्ठ 218, 219 एवं 225)

नवीनतम वर्षों के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के सारांशित वित्तीय परिणाम जिसके लिए लेखों को अंतिम रूप दिया गया

(₹ करोड़ में)

क्रं सं	क्षेत्र/कम्पनी का प्रकार और नाम	खातों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	लाभांश, ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ / हानि	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ / हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	कुल मूल्य	संचित लाभ / हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(अ)-सामाजिक क्षेत्र										
कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ										
1.	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एव विकास निगम लिमिटेड	2007-08	2018-19	1.06	0.86	0.98	8.43	14.14	10.13	1.70
2.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2016-17	2018-19	9.90	6.70	313.69	1.00	50.06	50.06	49.06
3.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम आरंभिक खाते नहीं मिले	-	-	0	0	0	0	0	0	0
योग अ-I				10.96	7.56	314.67	9.43	64.2	60.19	50.76
अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ										
4.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1993-94	2012-13	0.10	0.07	0.54	0.50	0.58	-0.13	-0.63
5.	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1986-87	2002-03	-0.02	-0.02	0.10	0.50	0.89	0.46	-0.04
योग अ-II				0.08	0.05	0.64	1.00	1.47	0.33	-0.67
योग अ (I+II)				11.04	7.61	315.31	10.43	65.67	60.52	50.09
ब-प्रतिस्पर्धी पर्यावरण क्षेत्र										
I- कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ										
6.	उत्तराखण्ड सीड एवं तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।	2015-16	2018-19	-12.6	-15.62	102.43	4.08	-2.63	-5.13	-9.21
7.	स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2014-15	2018-19	12.47	7.66	13.68	28.5	409.32	409.32	380.82
8.	पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड जिसे पहले उत्तराखण्ड राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।	2014-15	2016-17	3.48	2.52	43.57	4.00	10.38	5.38	1.38
9.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2016-17	2017-18	-12.33	-36.04	72.66	6.00	-163.53	-310.76	-316.76
10.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2016-17	2018-19	-6.73	-29.68	118.44	17.99	132.94	-246.3	-264.29
11.	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	2018-19	0.01	0.01	2.13	1.07	0.85	0.85	-0.22
12.	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2016-17	-0.30	-1.51	100.49	13.42	13.18	12.75	-0.67

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामाजिक, सामान्य, राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र)

13.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2018-19	-3.42	-3.80	131.51	6.10	58.64	51.11	45.01
14.	उत्तराखण्ड इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आरंभिक खाते नहीं मिले)	-	-	0	0	0	0	0	0	0
योग ब-II				-19.42	-76.46	584.91	81.16	459.15	-82.78	-163.94
II-वैधानिक निगम										
15.	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2015-16	2016-17	-29.85	-39.50	67.91	2,429.65	2,272.36	2,195.26	-234.39
16.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2015-16	2017-18	-11.99	-11.99	309.12	238.60	-186.38	-189.05	-427.65
योग ब-II				-41.84	-51.49	377.03	2,668.25	2,085.98	2,006.21	-662.04
योग ब (I+II)				-61.26	-127.95	961.94	2,749.41	2,545.13	1,923.43	-825.98
स-अन्य										
I-कार्यरत सरकारी कम्पनी										
17.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	2017-18	-2.21	-2.21	1.32	8.95	-15.98	-15.98	-24.93
18.	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरंभिक खाते नहीं मिले)	-	-	0	0	0	0	0	0	0
19.	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड (आरंभिक खाते नहीं मिले)	-	-	0	0	0	0	0	0	0
योग स-I				-2.21	-2.21	1.32	8.95	-15.98	-15.98	-24.93
II-अकार्यरत सरकारी कम्पनी										
20.	ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कुमाऊं मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी)	1999-00	2002-03	-0.84	-0.84	2.8	1.63	-1.42	-4.17	-5.8
21.	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1996-97	1997-89	-1.19	-1.19	0	0.35	13.32	-6.6	-6.95
22.	यू पी ए आई लिमिटेड *	1988-89	1999-00	0	0	0	0.17	0.12	0.12	-0.05
23.	उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी) (उपलब्ध नहीं)	-	-	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी) (उपलब्ध नहीं)	-	-	0	0	0	0	0	0	0
25.	कुंमट्रोन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1989-90	1990-91	-0.02	-0.02	0	0.18	0.16	0.16	-0.02
योग स-II				-2.05	-2.05	2.80	2.33	12.18	-10.49	-12.82
III-वैधानिक निगम										
26.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2016-17	2018-19	20.31	20.31	708.71	0	357.86	357.86	357.86
योग स-III				20.31	20.31	708.71	0	357.86	357.86	357.86
योग स (I+II+III)				16.05	16.05	712.83	11.28	354.06	331.39	320.11
महायोग (अ+ब+स)				-34.17	-104.29	1990.08	2771.12	2964.86	2315.34	-455.78
I-कार्यरत सरकारी कम्पनियों				-10.67	-71.11	900.9	99.54	507.37	-38.57	-138.11
ii-वैधानिक निगम				-21.53	-31.18	1085.74	2668.25	2443.84	2364.07	-304.18
ii-कार्यशील सार्वजनिक उपक्रम (i+ii)				-32.2	-102.29	1986.64	2767.79	2951.21	2325.5	-442.29
iv-अकार्यरत सरकारी कम्पनियों				-1.97	-2.00	3.44	3.33	13.65	-10.16	-13.49
महायोग (iii+iv)				-34.17	-104.29	1990.08	2771.12	2964.86	2315.34	-455.78

परिशिष्ट-3.3.4

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.3.1.16; पृष्ठ 223)

वर्ष 2001-02 से 2017-18 तक की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा निवेश का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

अ-सामाजिक क्षेत्र (1 एवं 2) और प्रतिस्पर्धी 3 से 5										
क्रं सं	1.		2.		3.		4.		5	
वर्ष	उत्तराखण्ड बहुउद्देश्यीय वित्त एव विकास निगम लिमिटेड		उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड		उत्तराखण्ड सीड एवं तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड		स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आफ उत्तराखण्ड लिमिटेड		उत्तराखण्ड परिवहन निगम	
	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	1.10	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	16.00	0.00	0.00	1.93
2003-04	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	3.00	0.00
2004-05	0.71	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
2005-06	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	4.25
2006-07	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
2007-08	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19.50
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.11
2012-13	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2013-14	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2014-15	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.86	1.00
2015-16	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	16.44	0.00	1.00	0.00	1.20	0.00	26.00	0.00	229.36	161.79
ब-प्रतियोगी क्षेत्र										
क्रं. सं.	6.		7.		8.		9.		10.	
वर्ष	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड		उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम		पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड जिसे पहले उत्तराखण्ड राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।		डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड		किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	
	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण
2000-01	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

2003-04	0.00	0.00	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	199.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	166.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.25
2007-08	0.00	0.00	247.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	217.92	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	127.73	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	-609.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	-271.70	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	0.00	0.00	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013-14	0.00	0.00	-177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014-15	0.00	0.00	303.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2016-17	-0.15	0.00	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	6.64	0.00	697.22	0.00	4.00	0.00	6.00	0.00	17.54	8.75

ब-प्रतिस्पर्धी क्षेत्र (11 एवं 12) और अन्य क्षेत्र 13 एवं 14

क्र. सं.	11.		12.		13.		14.	
	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड		कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड		उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड		उत्तराखण्ड वन विकास निगम	
	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण
2000-01	0.00	0.00	13.42	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	1.07	0.00	13.42	16.08	8.95	0.00	0.00	0.00

परिशिष्ट-3.6.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.6; पृष्ठ 236, 237)

अर्जित ब्याज और जिसे अर्जित किया जा सकता था को दर्शाने वाला विवरण

बैंक का नाम	एफ डी आर संख्या	दिनांक	धनराशि (₹ में)	ब्याज की दर जिस पर निवेश किया है	परिपक्वता मूल्य (₹ में)	अर्जित ब्याज (₹ में)	ब्याज की दर जिस पर राशि का निवेश किया जाना चाहिए था	अपेक्षित परिपक्वता मूल्य (₹ में)	ब्याज जो अर्जित किया जा सकता था (₹ में)	ब्याज की हानि (₹ में)
सिंडिकेट बैंक	8515/458/0000077/6	02.02.17	57,69,23,282	5.51	60,93,74,637	3,24,51,355	6.5	61,53,47,301	3,84,24,019	59,72,664
पंजाब नेशनल बैंक	445600PU00012580	01.02.17	9,00,00,000	5	9,45,85,080	45,85,080	6.5	9,59,94,145	59,94,145	14,09,065
	445600PU00012562	01.02.17	9,00,00,000	5	9,45,85,080	45,85,080	6.5	9,59,94,145	59,94,145	14,09,065
	445600PU00012571	01.02.17	9,00,00,000	5	9,45,85,080	45,85,080	6.5	9,59,94,145	59,94,145	14,09,065
	445600GR00000368	01.02.17	9,00,00,000	5	9,45,85,080	45,85,080	6.5	9,59,94,145	59,94,145	14,09,065
	445600GR00000734	31.01.17	10,35,73,830	5	10,88,50,434	52,76,604	6.5	11,04,72,014	68,98,184	16,21,580
योग			1,04,04,97,112		1,09,65,65,391	5,60,68,279		1,10,97,95,895	6,92,98,783	1,32,30,504

(अ) ₹ 1.32 करोड़

ऋण की राशि (₹ में)	पंजाब नेशनल बैंक की ब्याज दर	राशि का भुगतान (₹ में)	सिंडिकेट बैंक की ब्याज दर	भुगतान की जाने वाली अपेक्षित धनराशि (₹ में)	अंतर (₹ में)
1	2	3	4	5	6=(5-3)
35,00,00,000	5.5	33,74,058	8.5	52,14,453*	18,40,395

(ब) ₹ 0.18 करोड़

* ₹ 33,74,058 x 8.5 = ₹ 5,21,453

5.5

ब्याज की हानि: (अ) ₹ 1.32 करोड़ - (ब) ₹ 0.18 करोड़ = ₹ 1.14 करोड़

